कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर.

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2013 का सिविल अपील सं. 7011)

28 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962-एस। 24 (2) , 33 (2) क्या भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की गई है

कर्नाटक आवास बोर्ड के उद्देश्य, यू / के. एच. बी. ए. अधिनियम की धारा 33 (2) के बिना आवास योजना अस्तित्व में है या आवास योजना को यू/के तहत मंजूरी नहीं दी गई है। धारा 24 (2) ऐसी अधिग्रहण कार्यवाहियों को शून्य और गैर-आयोजित बना देगीः यू/के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करना। के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के बिना आवास योजना अस्तित्व में है या

आवास योजना यू/स्वीकृत नहीं की गई है धारा 24 (2) ऐसी कार्यवाहियों को अमान्य नहीं बनाएगी-जब तक कि किसी योजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है। उसमें, एस के संदर्भ में। 24 (2) के. एच. बी. अधिनियम, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वास्तविक अधिनियम। , उस पर निष्पादन प्रभावी नहीं होगा।

कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962-अधिनियम की योजना

चर्चा की। कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962 - धारा 33 (2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - धारा 3 (च)-क्या एल. ए. अधिनियम किसी विशेष पहलू के संबंध में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित किया गया है या

प्रक्रिया-आयोजितः एस का एक खाली अवलोकन। 33 (2) स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देंगे-इसके बाद के अंग में 'एक डीमिंग प्रावधान' है-जो केवल इस मूलभूत तथ्य को स्थापित करने पर आकर्षित होता है कि भूमि या उसमें ब्याज का अधिग्रहण के. एच. बी. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए है उक्त प्रावधान से पता चलेगा कि इसे स्थापित करने पर संबंधित भूमि का अधिग्रहण या उसमें ब्याज, जैसा भी मामला हो, एल. ए. अधिनियम के अर्थ के भीतर इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के रूप में माना जाएगा। , एल. ए. अधिनियम की धारा 3 (च) जो "सार्वजनिक उद्देश्य" को परिभाषित करती है-इसलिए, उसी एल. ए. अधिनियम के संदर्भ में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया है।

अभ्यास और प्रक्रिया आयोजितः एक अधिनियम में एक विशेष प्रावधान (ओं) के तहत प्राप्त स्थिति के संबंध में दिया गया निर्णय समान प्रावधानों के साथ व्यवहार करते समय लागू नहीं किया जा सकता है।

तथ्यों और कानून को देखे बिना, एक अलग अधिनियम के तहत आने वाली स्थिति, जब तक कि उस अधिनियम में परिमापक प्रावधान (ओं) मौजूद न हों।

शब्द और वाक्यांश-'निष्पादन'; 'निष्पादन'-चर्चा का अर्थ-कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962। 24 (2) , 33 (2) .

सी. ए. Nos.7011-13/2013,9002-9003/2013 और 7017-19/2013 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश

उनके अपने गुणों पर विचार करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 विवाद कि केएचबी (कर्नाटक आवास बोर्ड)/केएचबी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण की शुरुआत (कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962), संबंधित आवास योजना/भूमि विकास योजना की मंजूरी और/या प्रकाशन से पहले, मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय को देखते हुए अमान्य है। तो भी, यह तर्क कि मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय को देखते हुए

अधिग्रहण की कार्यवाही आवास योजना/भूमि का हिस्सा है।

विकास योजना और इसलिए, संबंधित आवास योजना/भूमि अधिग्रहण योजना की मंजूरी और/या प्रकाशन से पहले के. एच. बी./के. एच. बी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण को अमान्य नहीं माना जा सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विवादास्पद प्रश्न और संबद्ध मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और मोहम्मद में निर्णय के संदर्भ के बिना स्वतंत्र रूप से जवाब दिया जाना चाहिए। यूसुफ का मामला, लेकिन एल. ए. अधिनियम के साथ-साथ के. एच. बी. अधिनियम के संदर्भ में। [पैरा 21] [1127-जी-एच; 1028-ए-बी]

अपतटीय होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। (2011) 3 एससीसी 139: [2011] 1 एससीआर

453 पीछा किया।

1.2 एक अधिनियम में एक विशेष प्रावधान (ओं) के तहत प्राप्त स्थिति के संबंध में दिया गया निर्णय एक अलग अधिनियम के तहत आने वाली समान स्थिति से निपटने के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसमें परिमापक प्रावधान (ओं) मौजूद न हो।

तथ्यों और कानून को देखे बिना अधिनियमन। [पैरा 22] [1028 ई] [2022] 19 एस. सी. आर.

1.3 के. एच. बी. अधिनियम के पूर्व में निकाले गए प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से के. एच. बी. के कर्तव्यों का पता चलेगा।

आवास योजनाएं और भूमि विकास योजनाएं जो समय-समय पर या राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपी जा सकती हैं, वे आवश्यक मानी जा सकती हैं। आवास योजनाओं और भूमि विकास योजनाओं द्वारा किन विषयों के लिए प्रावधान किया जाना है

धारा 18 और 18ए के तहत क्रमशः उल्लिखित। गुज़र रहा है। धारा 2 (एन) 'कार्यक्रम' का अर्थ है वार्षिक आवास कार्यक्रम।

और धारा 19 के तहत के. एच. बी. द्वारा तैयार भूमि विकास कार्यक्रम। धारा 19 आदेश देती है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले दिन से पहले, के. एच. बी. एक तैयार करेगा और आगे बढ़ाएगा।

कार्यक्रम, अगले वर्ष के लिए एक बजट और पहले से ही कार्यरत और अगले वर्ष के दौरान नियोजित होने वाले अधिकारियों और सेवकों के कर्मचारियों की एक अनुसूची, राज्य सरकार को। उक्त धारा के अनुसार, उक्त कार्यक्रम में आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं के ऐसे विवरण शामिल होंगे जिन्हें अगले वर्ष के दौरान आंशिक या संपूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव है जो निर्धारित किया जाए। धारा 20 के तहत राज्य सरकार कार्यक्रम, बजट और अधिकारियों और सेवकों के कर्मचारियों की अनुसूची को ऐसे संशोधनों के साथ मंजूरी दे सकती है जो उसे उचित लगे। धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार धारा 20 के तहत अपने द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगी। धारा 22 अनुपूरक कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करने की अनुमति देती है जिसके संबंध में धारा 20 के तहत एक कार्यक्रम और बजट स्वीकृत किया गया था और इस तरह के पूरक कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत करने की स्थिति में धाराओं के प्रावधान

20 और 21 लागू होंगे। धारा 23 बोर्ड को किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल किसी भी कार्यक्रम या उसके किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। इसके तहत परंतुक के खाली अवलोकन से पता चलेगा कि यह एक निरंकुश शक्ति नहीं है। परंतुक के अनुसार, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा यदि - ऐसे कार्यक्रम में शामिल किसी आवास योजना या भूमि विकास योजना के निष्पादन के लिए मूल रूप से स्वीकृत राशि के 20 प्रतिशत से अधिक खर्च शामिल है या

इसके दायरे या उद्देश्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार के. बी. एच. अधिनियम के अध्याय-III में निहित धारा 17 से 23 के तहत प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि वे आवास योजनाओं और भूमि विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए के. एच. बी. के कर्तव्यों से संबंधित हैं, जो कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. के मामले हैं।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

ऐसी योजनाओं में शामिल, वार्षिक आवास कार्यक्रम और भूमि विकास कार्यक्रम की तैयारी और प्रस्तुत करना, बजट और स्थापना अनुसूची और ऐसी अन्य प्रक्रियाएं जिनका अंततः कार्यक्रम की मंजूरी के लिए पालन किया जाना है और के. एच. बी. की स्वीकृत राशि में भिन्नता करने की शक्ति भी शामिल है।

कार्यक्रम और इसकी सीमा। [पारस 25,26] [1033-डी-एच; 1034-ए-डी]

1.4 केएचबी अधिनियम की योजना के अनुसार, यह आवास योजनाओं के निष्पादन, भूमि विकास के विषय से संबंधित है

धारा 24 के तहत योजनाएं और श्रम आवास योजनाएं। धारा 18-23 के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम केएचबी अधिनियम की धारा 24 के दायरे और उद्देश्य पर विचार करेंगे। धारा 24 की उप-धारा (1) और (2) की सावधानीपूर्वक जांच से उनके विशिष्ट अंतर सामने आएंगे। धारा 24 (1) में निर्धारित किया गया है कि कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रकाशित किया गया है, बोर्ड, धारा 23 के प्रावधानों के अधीन, कार्यक्रम में शामिल आवास योजना, भूमि विकास योजना और श्रम आवास योजना को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

इस प्रकार, धारा 24 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि के. एच. बी. कब आवास योजनाओं, भूमि को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

विकास योजनाएं और श्रम आवास योजनाएं इस कार्यक्रम में शामिल हैं। निर्विवाद रूप से, उक्त वैधानिक अधिदेश के संदर्भ में के. एच. बी. कार्यक्रम में शामिल उपरोक्त योजनाओं में से किसी को भी उस कार्यक्रम की मंजूरी और प्रकाशन के बाद ही निष्पादित कर सकता है जिसमें संबंधित योजना शामिल है। [पैरा 27] [1034-ई-जी] 1.5 अब, के. एच. बी. द्वारा एक कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के अलावा आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं की निष्पादन क्षमता या अन्यथा के सवाल पर विचार किया जाएगा। जैसा कि पहले देखा गया है, में असंदिग्ध शब्द

धारा 24 (1) से पता चलता है कि यह केवल एक कार्यक्रम में शामिल ऐसी योजनाओं की बात करती है और इस तरह इस तरह के 'आवास' का निर्माण करती है। योजनाएं, भूमि विकास योजनाएं और श्रम आवास योजनाएं एक निश्चित श्रेणी है। आगे सवाल यह है कि क्या ऐसी योजनाओं वाली किसी अन्य श्रेणी पर के. एच. बी. अधिनियम में विचार किया गया है और यदि ऐसा है, तो ऐसी योजनाएँ कब निष्पादित की जा सकेंगी? 'कोई भी' शब्द जो 'आवास योजना, भूमि विकास योजना और श्रम आवास योजना' [2022] 19 एस. सी. आर.

उसकी उप-धारा (2) में उप-धारा के तहत नियोजित 'कार्यक्रम में शामिल' शब्दों के विपरीत नियोजित, स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं की निष्पादन क्षमता को सकारात्मक रूप से इंगित करता है। वास्तव में इसे एक नकारात्मक रूप में जोड़ा गया है, जैसा कि इसकी उप-धारा (2) से देखा जा सकता है, जिसे यहाँ पहले निकाला गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार के. एच. बी.

किसी भी आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना को निष्पादित करें जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो। कौन सी उप-धारा (2) ऐसी योजना के निष्पादन को प्रतिबंधित करती है, चाहे वह आवास योजना हो या भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना, जो स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं है

कार्यक्रम में शामिल ऐसी योजनाओं की निष्पादन क्षमता के समय के संबंध में धारा 24 की धारा (1)। , राज्य सरकार द्वारा उनकी मंजूरी और प्रकाशन के बाद ही, वहाँ था धारा 24 के तहत उप-धारा (2) को नकारात्मक रूप में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से, उप-धारा (2) के तहत विधायी इरादे को केवल एक के रूप में लिया जा सकता है जो के. एच. बी. को ऐसी योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाता है जो इसमें शामिल नहीं थीं।

कार्यक्रम, अपवाद के रूप में, लेकिन की शर्त के अधीन निष्पादन से पहले राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करना। संक्षेप में, समग्र रूप से, धारा 24 का उद्देश्य यह है कि के. एच. बी. द्वारा शुरू की गई किसी भी आवास योजना या भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना निष्पादित नहीं किया जाएगा। धारा 24 की उप-धारा (2) की व्याख्या इस रूप में नहीं की जा सकती है कि इसके लिए दूसरी मंजूरी की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में शामिल ऐसी योजनाओं को लागू करना। इसके विपरीत, धारा 24 (2) के तहत प्रावधान की व्याख्या के. एच. बी. को ऐसी योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाने के रूप में की जानी चाहिए जो

कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन आवश्यक हो गया

उपक्रम, सरकार से मंजूरी के अधीन। हमारे अनुसार, इस तरह का निर्माण केवल के. एच. बी. के गठन के उद्देश्य को पूरा करेगा। [पारस 28,29] [1034-एच; 1035-ए-एच]

1.6 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आवास के निष्पादन के लिए

योजना, भूमि विकास योजना और श्रम आवास योजना, कर्नाटक आवास बोर्ड और एएनआर।

वी. राज्य की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस।

चाहे वह कार्यक्रम में शामिल हो या नहीं, आवश्यक सीमा भूमि अधिग्रहण करना होगा। क्योंकि, भूमि की आवश्यक सीमा के बिना, आवास और श्रम आवास योजनाओं के तहत घरों का निर्माण या भूमि विकास योजनाओं के तहत भूमि का विकास प्रभावित नहीं किया जा सकता था। यह एक तथ्य है कि केएचबी अधिनियम में 'निष्पादन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, सवाल यह है कि धारा 24 और धारा 33 (2) की उप-धाराओं (1) और (2) में प्रयुक्त 'निष्पादन/निष्पादन' अभिव्यक्तियों को कैसे समझा जाए। इस संबंध में के. एच. बी. के संविधान के उद्देश्य और उद्देश्य और इसके कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए शब्दकोश का अर्थ

उक्त अभिव्यक्ति पर गौर किया जाना चाहिए। तदनुसार, ब्लैक में 'निष्पादन' शब्द के लिए दिए गए निम्नलिखित अर्थ

लॉ डिक्शनरी, दसवां संस्करण, के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) और 33 (2) में प्रयुक्त 'निष्पादन' या 'निष्पादन' अभिव्यक्तियों के लिए उत्तरदायी हैः (1) निष्पादन या पूरा करना (एक अनुबंध या कर्तव्य); (2) किसी चीज़ का प्रदर्शन या पूरा करना; (3) अंतिम प्रक्रिया

एक क्रिया। [पैरा 30] [1036-ए-डी]

1.7 धारा 33 को बाद में 2016 के अधिनियम 24 के अनुसार वर्ष 2016 में प्रतिस्थापित किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिस्थापन इन कार्यवाही में आक्षेपित अधिसूचनाओं के बाद हुआ था, हमारे लिए उक्त प्रतिस्थापित प्रावधान पर गौर करना अनावश्यक है। वास्तव में, कोई गंभीर तर्क नहीं था उक्त प्रावधान के संदर्भ में किसी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। अध्याय-IV की धारा 33 वास्तव में के. एच. बी. की भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति से संबंधित है। उप-धारा (1) और (2) में अधिग्रहण के विभिन्न तरीकों की परिकल्पना की गई है जो प्रकृति में भिन्न हैं। संक्षेप में कहें तो, धारा 33 (1) के तहत अधिग्रहण के मामले में 'सहमति' की आवश्यकता होती है और अनिच्छुक मालिकों के संबंध में अधिग्रहण उसकी उप-धारा (2) के तहत किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 33 भूमि अधिग्रहण या उस पर ब्याज से संबंधित है और यह योजनाओं की मंजूरी से संबंधित नहीं है। जाहिर है, भूमि या उस पर ब्याज प्राप्त करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता करने पर, धारा 33 (1) के तहत निर्धारित तीन तरीकों में से किसी का भी पालन करके राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है, जो इसके परंतुक के अधीन है। [पारस

31 , 32] [1037 - बी-डी] [2022] 19 एस. सी. आर.

1.8 धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत, के. एच. बी. किसी भी व्यक्ति के साथ उससे अधिग्रहण के लिए समझौता कर सकता है।

आवास योजना या भूमि विकास योजना या ऐसी भूमि में किसी भी हित के प्रयोजनों के लिए या किसी भी वंचितता या हस्तक्षेप के संबंध में ऐसे किसी भी अधिकार के मालिकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक किसी भी भूमि की खरीद, पट्टा या विनिमय। इसके साथ। उप-धारा (1) का परंतुक निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता हैः

Rs.10 से अधिक मूल्य की भूमि की खरीद या विनिमय लाख। पट्टे के लिए इस तरह की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है यदि यह 5 साल से अधिक के लिए है। आवश्यक परिणाम यह है कि ऐसी योजनाओं के प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी खरीद, पट्टा या विनिमय द्वारा राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

1 लाख या उससे कम मूल्य की भूमि शामिल है और पट्टा का मामला यदि यह 5 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए है। धारा 33 की उप-धारा (2) केएचबी को अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कदम उठाने की अनुमति देती है।

आवास योजना या भूमि विकास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भूमि या उसमें किसी ब्याज का। एक के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में

आवास योजना या भूमि विकास योजना

इस तरह का पूर्व अनुमोदन इसकी उप-धारा (2) के तहत निर्धारित किया गया है। इसका कारण स्पष्ट है। उप-धारा (2) के अवलोकन से पता चलेगा कि इसके तहत जो अनुमत है वह अनिवार्य है।

के. एच. बी. अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम में उपबंधित तरीके से किसी भी भूमि या उस पर ब्याज का अधिग्रहण। एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) इस संदर्भ में संदर्भ के योग्य है। [पारस 33

35] [1037 - ई-एच; 1038-ए-बी] 1.9 लेकिन फिर, धारा 4 (1) कर्नाटक राज्य के लिए अपने आवेदन में कहा गया है। यह राज्य संशोधन लाया गया था

2021 के एस. एल. पी. (सी) No.1361) से उत्पन्न, जिसे एल. ए. अधिनियम की धारा 3 के खंड (सी) के तहत जारी किया गया था, ने उप के. एच. बी. के आवास आयुक्त के कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया। बेंगलुरु और मैसूर राजस्व प्रभागों में के. एच. बी. के उद्देश्य से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत आयुक्त। ऐसी परिस्थितियों में, कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. में कोई त्रुटि या दोष नहीं है।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

एल. ए. की धारा 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के खिलाफ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एल. ए. अधिनियम के नंगे अवलोकन से पता चलता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही एक

इसकी धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है। द.

धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति है।

और एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित अंतिम अधिसूचना। [पैरा 36,37] [1038-ई; 1039-बी-एफ] 1.10 एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रावधानों और एल. कृष्णन के मामले में निर्णय को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए के. एच. बी. के उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव के लिए के. एच. बी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार एक विधिवत प्रकाशित अंतिम योजना लागू होनी चाहिए। एल. ए. अधिनियम की धारा 4 से प्राप्त उक्त स्थिति के बावजूद

और एल. कृष्णन के मामले में निर्णय के. एच. बी. अधिनियम के तहत प्रावधानों से इस तरह के जनादेश का अनुमान लगाने का प्रयास है। के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इसमें स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से कोई शर्त नहीं है।

निहितार्थ यह है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत भूमि अधिग्रहण या उसमें ब्याज का प्रस्ताव करने वाली अधिसूचना जारी होने से पहले, के. एच. बी. के उद्देश्य के लिए, एक स्वीकृत और प्रकाशित आवास योजना/भूमि विकास योजना/श्रम आवास योजना लागू होनी चाहिए। उक्त परिस्थितियों में उक्त विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है। टीएनएचबी अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरीत, जो टी. एन. एच. बी. अधिनियम और तमिलनाडु आवास बोर्ड के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश केवल एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के. एच. बी. को [2022] 19 एस. सी. आर. में आवास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी भूमि या उसमें किसी भी हित के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कदम उठाने का अधिकार देती है।

1.11 इसलिए, अगला सवाल यह है कि क्या एल. ए. अधिनियम किसी विशेष संबंध में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित किया गया है। पहलू या प्रक्रिया। धारा की उप-धारा (2) का केवल अवलोकन

33 इस सवाल का जवाब खुद देंगे। इसके बाद के अंग में 'ए' होता है।

डीमिंग प्रोविजन '। निश्चित रूप से, यह केवल इस मूलभूत तथ्य को स्थापित करने पर आकर्षित होता है कि भूमि का अधिग्रहण या उसमें ब्याज केएचबी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए है। एतऽ पहिने निकालि गेल उपबंध ई देखबैत अछि जे एकरा स्थापित कयलाक बाद, यथास्थिति, सम्बन्धित भूमि या ओहिमे हितक अधिग्रहणकेँ एल. ए. अधिनियमक अर्थक भीतर एहि उद्देश्यक लेल अधिग्रहण मानल जायत। , एल. ए. अधिनियम की धारा 3 (एफ) जो "सार्वजनिक उद्देश्य" को परिभाषित करती है। इसलिए, उसी एल. ए. अधिनियम के संदर्भ में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया है। ऊपर। इसलिए, यह पर्याप्त होगा यदि अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि अधिग्रहण केएचबी के उद्देश्य के लिए है। यह एक तथ्य है कि

उपलब्ध है। [पैरा 40] [1040-एफ-एच; 1041-ए-बी] 1.12 विचार के लिए एक अन्य संबद्ध प्रश्न यह है कि क्या अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पर्याप्त विशिष्टता के साथ गैर-विनिर्देशन अधिग्रहण को रद्द करने का कारण हो सकता है।

के. एच. बी. अधिनियम के उद्देश्य से के. एच. बी. अधिनियम द्वारा संशोधित एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही। यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना में इस तरह की अस्पष्टता के कारण धारक/भूमि मालिक आवेदन दायर करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे।

एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत प्रभावी आपत्ति। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि एसएलपी (सी) No.1361/2021 से उत्पन्न अपील में, प्रतिवादी Nos.2 और 3 की मृत मां ने धारा 5 ए के तहत आपत्तियां दायर की थीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि कुछ मामलों में अधिग्रहण आधारित है उसी पर अधिसूचना लागू की गई और पुरस्कार भी पारित किए गए। [पैरा 41] [1041-बी-सी; 1042-ए] कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर.

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

1.13 धारा 24 (1) इस सवाल की बात करती है कि के. एच. बी. आवास योजनाओं, भूमि विकास को लागू करने के लिए कब आगे बढ़ सकता है।

योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। धारा 24 (2) ऐसी योजना की निष्पादन क्षमता से संबंधित है जो कार्यक्रम में शामिल नहीं है और धारा 24 (2) के दायरे में आने वाली ऐसी योजना के संबंध में इसके तहत अधिदेश यह है कि इसे तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में, एक संयुक्त पठन के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) और धारा 24 (2) के तहत यह स्पष्ट किया जाएगा कि धारा के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के लिए किसी भी योजना के पूर्व अनुमोदन या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

33 (2) . ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 4 (1) के राज्य संशोधन के संदर्भ में, अधिग्रहण कार्यवाही की शुरुआत को चिह्नित करने वाली अधिसूचना

एल. ए. अधिनियम के तहत, उपयुक्त सरकार या उपायुक्त द्वारा जारी किया जाता है और उसके बाद, उक्त औपचारिक

अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के निर्णय की अभिव्यक्ति मिलती है

कर्नाटक सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ठोस आकार और रूप में। ऐसी परिस्थितियों में, यदि यह के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए है, दूसरे शब्दों में, के. एच. बी. की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए, तो वैधानिक रूप से राज्य सरकार द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने तक इसके निष्पादन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण की शुरुआत से पहले एक स्वीकृत और प्रकाशित योजना का अस्तित्व न होने का मात्र तथ्य।

कार्यवाही, अपने आप में, अधिसूचना नहीं बनाएगी और

अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई जो अमान्य है। [पैरा 42] [1042 बी-एफ] 1.14 एक अन्य पहलू के लिए भी प्रतिद्वंद्वी विवादों और स्थिति के संदर्भ में संदर्भ की आवश्यकता होती है। अधिनियम की योजना से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी गई योजनाओं को शुरू करना भी के. एच. बी. का कर्तव्य है। के. एच. बी. अधिनियम की धारा 32 (1) विशेष रूप से यह स्पष्ट करती है कि योजना के संबंध में

सरकार द्वारा के. एच. बी. को सौंपे गए, धारा 18-24 (दोनों समावेशी) के तहत प्रावधान लागू नहीं होंगे, सिवाय उस हद तक और ऐसे संशोधनों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। यह है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं या श्रम आवास योजनाओं के संबंध में

सरकार द्वारा बोर्ड को, कभी-कभी इस तरह की जिम्मेदारी [2022] 19 एस. सी. आर. द्वारा आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बाद ही दी जाती है।

राज्य सरकार। उपर्युक्त सभी प्रावधानों और स्थितियों से पता चलता है कि एस. एल. पी. (सी) No.1361/2021 और प्रतिवादी Nos.2 और 3 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थियों के अलावा अपीलार्थियों का यह तर्क कि अंतिम रूप से स्वीकृत योजना का अस्तित्व किसी भी भूमि या उसमें किसी भी हित के अधिग्रहण की शुरुआत के लिए एक पूर्व शर्त है, एक पूर्व शर्त है और इसका अस्तित्व न होने से अधिग्रहण की कार्यवाही हमेशा अमान्य और अमान्य हो जाएगी।

अस्वीकार कर दिया। इसलिए, धारा 18 से 24 (दोनों समावेशी) और धारा 33 (2) के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि के. एच. बी. अधिनियम में कोई वैधानिक आग्रह नहीं है कि

के. एच. बी. अधिनियम/के. एच. बी. के प्रयोजनों के लिए धारा 33 (2) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए अधिग्रहण, प्रारूपण, अंतिम रूप देना और आवास योजना या भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना का प्रकाशन एक पूर्व शर्त है। [पैरा 43] [1042-एफ-एच; 1043-ए-सी]

1.15 उपरोक्त सभी कारणों से हम प्रस्तावित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं और इसके प्रभाव के लिए कि

के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत आवास योजना के अस्तित्व में होने या आवास योजना को धारा 24 (2) के तहत स्वीकृत नहीं किए जाने के बिना शक्ति का उपयोग करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही ऐसी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी। हम यह भी मानते हैं कि जब तक के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) के संदर्भ में किसी भी योजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वास्तविक अधिनियम, अर्थात। , उस पर निष्पादन प्रभावी नहीं होगा। [पैरा 44] [1043-डी-ई]

1.16 विवादास्पद प्रश्न और अन्य संबद्ध मुद्दों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए जाते हैं:

(i) एस. एल. पी. (सी) No.1361/2021 से उत्पन्न अपील में मूल प्रश्न (इसके अनुसार निर्णय लिया गया) के अलावा कोई प्रश्न नहीं है।

निर्णय) पर विचार किया गया। स्पष्ट निष्कर्षों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रिट अपील No.5712/2012 में 01.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश, जहां प्रश्न पर कानून को उजागर किया गया था

इसके विपरीत, अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, इसे अलग रखा जाता है। इस अपील में विचार के लिए आगे कुछ भी नहीं बचा है।

नतीजतन, रिट याचिका No.25184/2011, जिससे रिट अपील No.5712/2012 उत्पन्न हुई, खारिज कर दी जाती है।

कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(ii) सिविल अपील Nos.7011-13/2013,902-9003/2013 और 7017-19/2013 में स्थिति यह है कि सामान्य निर्णय के अनुसार

और क्रमशः रिट याचिका Nos.4625/2004,18596/2006,11568/2008 और 47616/2004 दिनांक 26.4.2013 में आदेश और रिट अपील संख्या में निर्णय भी। 1244-45 / 2009 , डिवीजन बेंच

वस्तुतः निर्णय लिया गया कि के. एच. बी. के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के लिए, एक स्वीकृत और प्रकाशित योजना का अस्तित्व एक पूर्व शर्त नहीं है। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने उस सवाल पर एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की

और इसके बाद, संबंधित रिट याचिकाओं/रिट अपीलों का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश से यह तय करने के अनुरोध के साथ किया गया कि क्या केएचबी अधिनियम की धाराओं का पालन किया गया था या नहीं। नहीं। जाहिर है, वे रिट याचिकाएं अब लंबित हैं। मुद्दा यह है कि क्या उन मामलों में शामिल तथ्यों को देखते हुए, केएचबी अधिनियम की धाराओं 18-23 के ईमानदारी से पालन का सवाल है।

जीवित रहता है या उसका पालन करने की आवश्यकता होती है, अधिग्रहण की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर विचार की आवश्यकता होती है।

अतः, इस निर्णय के अधीन रहते हुए, सिविल अपीलों को उनके गुण-दोष पर विचार करने के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

[पैरा 45] [1043-एफ-एच; 1044-ए-डी]

तमिलनाडु राज्य और अन्न। बनाम मोहम्मद यूसुफ और अन्य। ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1827: [1991] 3 एस. सी. आर. 375; स्टेट ऑफ टी. एन. और अन्य बनाम एल. कृष्णन और अन्य (1996) 1 एससीसी 250
[1995] 4 पूरक। एससीआर 663; मुंशी सिंह बनाम।

भारत संघ (1973) 2 एससीसी 337: [1973] 1 एस. सी. आर. 973; अफलातून बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल [(1975) 4 एससीसी 285

: [1975] 1 एस. सी. आर. 802; अर्नोल्ड रोड्रिक्स बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1788 [1966] एस. सी. आर. 885;

पं. लीला राम बनाम भारत संघ [(1975) 2 एस. सी. सी. 547:

[1976] 1 एस. सी. आर. 341-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1991] 3 एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1995] 4 पूरक। एससीआर 663

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1973] 1 एससीआर 973

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1975] 1 एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[1966] एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2011] 1 एससीआर 453

पीछा किया।

पैरा 21

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4986

2022 .

उच्च न्यायालय के 01.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 (एल. ए. के. एच. बी.) की रिट अपील No.5712 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

के साथ

सिविल अपील सं। 7011-7013 , 9002-9003 और 2013 का 7017-7019। रंजीत कुमार, वी. लक्ष्मीनारायण, बसवप्रभु एस. पाटिल, सीनियर।

अधिवक्ता। , एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, निशांत पाटिल, अनूप जैन, विदित मोंगा, सुश्री शुभिका सलूजा, बालाजी श्रीनिवासन, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, मनमोहन पी. एन., लिखी चंद बोन्सले, सुश्री कोमल मुंद्रा, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, सुश्री राखी एम., वैभव सभरवाल, सुश्री श्रुति अय्यर, सुश्री नेहा

जैन, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. 2021 के एसएलपी (सी) No.1361 में और सहमति पर दी गई छुट्टी

संबंधित दीवानी अपीलों के साथ सुनवाई के लिए लिया गया। इन सभी अपीलों में विचार के लिए एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है। , " क्या कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, 1962 की धारा 33 (2) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए कर्नाटक आवास बोर्ड के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की शुरुआत, आवास योजना के अस्तित्व में होने के बिना या आवास योजना की धारा 24 (2) के तहत मंजूरी नहीं दी गई है, ऐसी अधिग्रहण कार्यवाही को अमान्य और गैर-अनुमानित बना देगा। कुछ संबद्ध प्रश्नों पर भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हम जल्दबाजी में यह कह सकते हैं कि हम इस निर्णय के तहत योग्यता के आधार पर अपीलों का निपटारा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और यह केवल बताए गए सामान्य प्रश्न और संज्ञानात्मक मुद्दों का समाधान करेगा।

फिर भी, यदि किसी भी अपील में विचार के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो विवादास्पद प्रश्न और संबद्ध मुद्दों का उत्तर देने पर, इसका भाग्य उनके उत्तरों की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

2. कर्नाटक आवास बोर्ड अधिनियम, (इसके बाद संक्षेप में)

के. एच. बी. अधिनियम ") को आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों का प्रावधान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. के लिए। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

उक्त उद्देश्य को लागू करते हुए, इसकी धारा 3 के तहत, कर्नाटक आवास बोर्ड (संक्षेप में "केएचबी") का गठन किया गया था। के. एच. बी. अधिनियम के तहत के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विभिन्न तरीके प्रदान किए गए हैं, जिसमें धारा 33 (2) के तहत अनिवार्य अधिग्रहण की शक्ति भी शामिल है। इस संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ हम विवादास्पद प्रश्न और संबद्ध मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिनके लिए उन अपीलों में होने वाली स्थिति को संक्षेप में बताना उचित और लाभदायक है जिन पर वे विचार करने के लिए उत्पन्न होती हैं। हम केवल उक्त उद्देश्य के लिए अपीलों में उठाई गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों का उल्लेख करते हैं।

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1361 से उत्पन्न सिविल अपील

3. यह अपील 'के. एच. बी.' और इसके विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 01.12.2020 के खिलाफ की जाती है।

2012 (एल. ए.-के. एच. बी.) के डब्ल्यू. ए. सं. 5712 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2011 के डब्ल्यू. पी. No.25184 दिनांक 29.05.2012 में आदेश के खिलाफ दायर किया। कर्नाटक सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में "एल. ए. अधिनियम") की धारा 3 के खंड (सी) के तहत जारी अनुलग्नक 'ए' अधिसूचना दिनांक 15.12.1998 (अपील में इस प्रकार चिह्नित) के अनुसार, के. एच. बी. के आवास आयुक्त को एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत बेंगलुरु और मैसूर राजस्व प्रभागों, अर्थात् बेंगलुरु शहरी में के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में उपायुक्त के कार्य करने के लिए नियुक्त किया।

और बेंगलुरु ग्रामीण, आदि। धारा 3 (ग) स्वयं यह स्पष्ट करती है कि उपयुक्त सरकार को एल. ए. अधिनियम के तहत कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए

आवास आयुक्त, के. एच. बी. ने अनुबंध 'बी' जारी किया

के. एच. बी. की आवास परियोजनाओं के लिए कुल 56 एकड़ और 37 गुंटा भूमि के अधिग्रहण के लिए बेंगलुरु जिले के कौडेनहल्ली गांव और के. आर. पुरम गांव नामक दो स्थानों के संबंध में एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 18.4.2007। उक्त अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में 12.07.2007 पर प्रकाशित की गई थी और

इसके बाद, 18.08.2007 पर दो दैनिक समाचार पत्रों और 13.08.2007 से 24.08.2007 की अवधि के दौरान स्थानीय कार्यालयों में। इसके बाद, राज्य सरकार ने एल. ए. अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा और अंतिम अधिसूचना अनुलग्नक 'सी' जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि अधिसूचित संपत्तियां सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं, यानी के. एच. बी. द्वारा विभिन्न श्रेणियों के घरों के निर्माण के लिए। इसे आधिकारिक राजपत्र और दो स्थानीय समाचार पत्रों में भी विधिवत प्रकाशित किया गया था। श्रीमती डॉन डिसूजा, [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अपील में उत्तरदाता 2 और 3 की माँ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व-उल्लिखित प्रारंभिक और अंतिम अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए डब्ल्यू. पी. No.25184/2011 दायर किया। उक्त याचिका में 28.7.2011 पर एक अंतरिम आदेश दिया गया था। इससे पहले तीन अन्य रिट याचिकाएं थीं। , WP Nos.25435/2010,23002/2010 और 23083/2010, कुछ अन्य भूमि मालिकों द्वारा उसी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दायर किए गए थे। जाहिर है, सभी चार मामलों में केवल एक बिंदु उठाया गया था। , ' क्या अधिग्रहण अधिसूचनाएँ तब तक जारी की जा सकती हैं जब तक कि केएचबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। उन्हें एक साथ सुना गया और दिनांक 1 के आदेश के अनुसार एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को बरकरार रखा गया कि संबंधित आवास योजना की मंजूरी अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य है।

इसके लिए, एक अलग क्षेत्र के लिए वर्ष 1991 के अधिग्रहण के संबंध में डब्ल्यू. पी. No.9593/2007 में अपने स्वयं के निर्णय का पालन करते हुए। वास्तव में, डब्ल्यू. पी. No.9593/2007 में दिए गए उक्त निर्णय को मुख्य रूप से तमिलनाडु और ए. एन. आर. राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए प्रस्तुत किया गया था। बनाम मोहम्मद यूसुफ और अन्य। (ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1827)। बाद में,

29.06.2012 , उपरोक्त दो स्थानों, कौडेनहल्ली गाँव और के. आर. पुरम गाँव सहित 53 आवास योजनाओं का प्रस्ताव के. एच. बी. द्वारा अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया था। 04.09.2012 पर, राज्य सरकार ने दिनांक 4.9.2012 के अनुलग्नक 'H' के अनुसार सभी उक्त 53 आवास योजनाओं के लिए मंजूरी दे दी। उक्त गाँवों में 56 एकड़ और 37 गुंटा में से 30 एकड़ और साढ़े तीन गुंटा के संबंध में पुरस्कार पारित किए गए थे और अपीलार्थियों के अनुसार, शेष सीमा के संबंध में, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को देखते हुए पुरस्कार पारित नहीं किए गए थे। के. एच. बी. ने उपरोक्त सामान्य आदेश दिनांक 29.05.2012 के खिलाफ चार रिट अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने दिनांक 01.12.2020 के फैसले के माध्यम से रिट अपील No.5712/2012 को इस तर्क को खारिज करते हुए खारिज कर दिया कि योजना के निर्माण और मंजूरी से पहले के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से अधिग्रहण की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी और इस प्रकार अभिनिर्धारित करनाः

इससे पहले कि आवास बोर्ड कोई आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना लागू करे। यह इस बात की परवाह किए बिना है कि क्या कोई आवास योजना लागू होगी। अधिनियम की धारा 32 के तहत बोर्ड द्वारा सौंपी गई योजना के विपरीत भूमि का अधिग्रहण या नहीं। कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर.

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

यह उक्त निर्णय है जो एसएलपी (सी) No.1361/2021 से उत्पन्न होने वाली इस अपील में आक्षेपित है।

4. अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि केएचबी अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत प्रदत्त अधिग्रहण की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है

और इसे सरकार द्वारा योजना के पूर्व अनुमोदन पर सशर्त नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार, योजनाओं को एक साथ या बाद में भी तैयार किया जा सकता है और एक सुविचारित योजना के लिए अधिग्रहण शुरू किया जा सकता है। यह आवास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। 'आवास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक' अभिव्यक्ति उस 'उद्देश्य' को दर्शाती है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है न कि उस 'चरण' को जिस पर इसे अधिग्रहित किया जा सकता है, यह उनकी ओर से भी तर्क दिया जाता है। उनकी ओर से उठाए गए तर्क इस प्रकार हैंः -

यह अनुमान लगाना अतार्किक है कि के. एच. बी. की एक योजना को दो प्राप्त करने चाहिए

एक के. एच. बी. अधिनियम की धारा 20 के तहत और दूसरी के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत। इस तरह की व्याख्या के. एच. बी. अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या के अलावा और कुछ नहीं होगी। अभ्यास में

प्रत्यायोजित शक्तियाँ, यदि अधिसूचना आयुक्त द्वारा जारी की जाती है, तो यह

के. एच. बी. अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त निर्णय केवल तमिलनाडु आवास बोर्ड अधिनियम (टी. एन. एच. बी. अधिनियम) के तहत प्रावधानों से संबंधित है और आगे यह कि दोनों अधिनियमों के प्रावधान और योजना अलग और अलग हैं। टी. एन. एच. बी. अधिनियम की धारा 49 (1) (बी) के तहत प्रावधानों ने वस्तुतः इस अदालत को मोहम्मद यूसुफ के मामले (ऊपर) में यह ठहराने के लिए राजी किया कि भूमि का अधिग्रहण है आवास योजना का हिस्सा और इसलिए, संबंधित आवास योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना केवल जारी की जा सकती है

योजना को अंतिम रूप देना और सरकार द्वारा इसकी मंजूरी। हालांकि, के. एच. बी. में इसके लिए समान सामग्री का प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। एक्ट करें।

5. इस अपील में उत्तरदाता 2 और 3 ने एक सारांश दायर किया, जिसके अनुसार

[2022] 19 एस. सी. आर. के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए पक्षों को अनुमति दी गई।

प्रासंगिक दस्तावेजों/संकलन के साथ, जिसके तहत उन्होंने के. एच. बी. के दावों और तर्कों का विरोध करने के लिए विभिन्न तर्क उठाए हैं। हम यहां यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि हम उनके द्वारा पेश की गई सभी दलीलों का विज्ञापन नहीं करेंगे और जिस आदेश को हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, उसकी प्रकृति को देखते हुए, जैसा कि यहां पहले कहा गया है, हमें केवल उन विवादों से निपटने की आवश्यकता है जो समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए सामान्य प्रश्न और संबद्ध मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, निम्नलिखित तर्कों का उल्लेख करना प्रासंगिक हैः जब संबंधित योजना को अंतिम रूप देने से पहले एल. ए. अधिनियम के तहत धारा 4 (1) अधिसूचना जारी की गई थी, तो यह अस्पष्ट होगी और ऐसी परिस्थितियों में, भूमि मालिक एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत प्रभावी आपत्तियां दर्ज करने के लाभ से वंचित होंगे। (वास्तव में विवादित फैसले से ही पता चलता है कि उनकी मृत मां ने 17.09.2007 पर आपत्तियां दर्ज की थीं और बाद में, एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच की गई थी)। यदि आवास योजना में भूमि अधिग्रहण शामिल है, तो के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य है और के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत के. एच. बी. के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए योजना को तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना पूर्व आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा एल. ए. अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने को के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत स्वीकृत के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा कोई भी निर्माण, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रचार किया गया है, यदि स्वीकार किया जाता है, तो के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) और 33 (2) की भाषा का उल्लंघन होगा। केएचबी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के संदर्भ में, केएचबी को अपने उद्देश्य के लिए और एल. ए. अधिनियम के उद्देश्य के लिए भी एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा। अतः, एल. ए. अधिनियम की धारा 3 (एफ) के आधार पर, अधिग्रहण को 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए करने के लिए संबंधित आवास योजना के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। उन्होंने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए केएचबी अधिनियम की धारा 17 से 24 का भी उल्लेख किया है कि

केएचबी अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत पूर्व मंजूरी के बिना, केएचबी भूमि अधिग्रहण करके किसी भी योजना को निष्पादित नहीं कर सकता था। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए, वे मोहम्मद यूसुफ के मामले (ऊपर) और टी. एन. और अन्य बनाम राज्य में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हैं। एल. कृष्णन एंड अदर्स ने (1996) 1 एस. सी. सी. 250 में रिपोर्ट किया।

सिविल अपील सं। 7011-7013 2013 का 7017-7019 और 2013 का 9002-9003

6. ये सहयोगी अपीलें उन व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती हैं जिनकी संपत्तियों को कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. अधिसूचनाओं के तहत के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की मांग की जाती है।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

एस. एल. पी. (सी) No.1361/2021 से उत्पन्न अपील में शामिल व्यक्ति से पहले, उक्त अपील में पक्ष के उत्तरदाताओं के समान काफी हद तक विवाद उठाया गया था। उनका मुख्य तर्क यह है कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले संबंधित भवन योजना के लिए मंजूरी का अभाव पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दूषित कर देगा और इसे अमान्य कर देगा।

6.1 सहयोगी अपीलों के संबंध में प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं -

सुविधा के लिए एक सारणीबद्ध रूप में इन्फ्रा कहा गया है।

बी. एन. बाइरेगौड़ा

एस

. उदय

प्रासंगिक तिथियाँ

एम. नागराजू और

& ओआरएस। बनाम राज्य

एन. आर. बनाम सरकार।

शंक

र

बनाम।

की स्थिति

कर्नाटक और

कर्नाटक और

क

र्नाटक

ओआरएस। (सी. ए. नं.

ओआरएस। (सी. ए. नं.

और

ओआरएस। (सीए

7017-7019 में से

9002-9003 में से

2013)

नं.

7011

2013)

70

13 2013 का)

225 आवास

10

0 आवास

100 आवास

का नाम

योजना

योजना

यो

जना

योजना

का फ्रेमिंग

2009

06.10.2000

06

.10.2000

(संशोधित किया गया

केएचबी द्वारा योजना

योजना)

की मंजूरी

25

.01.2001

25.01.2001

18.05.2010

(संशोधित किया गया

योजना द्वारा

योजना)

सरकार.

31

.03.2001

धारा 4 (1) अधिसूचना

12.04.2005

31.03.2001

एस. 6 घोषणा

10.05.2002

02.11.2006

10

.05.2002

प्रकाशन की तिथि 17.05.2002

09.11.2006

17

.05.2002

अंतिम अधिसूचना

आधिकारिक तौर पर राजपत्र

6.2 सारणीबद्ध विवरण यह दिखाने के लिए जाएगा कि इन मामलों में

या तो रचना या मंजूरी या प्रकाशन या ऐसी सभी प्रक्रियाएँ

संबंधित आवास योजना के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही प्रभावी किया गया था। 2013 के सी. ए. Nos.7011-7013 में अपीलार्थी (एस. उदय शंकर) ने W.P.No.46250/2004 दायर किया और 2013 के <आई. डी. 1 में अपीलार्थी (बी. एन. बाइरेगौड़ा और अन्य) दायर W.P.No.47616/2004 ने [2022] 19 एस. सी. आर. को चुनौती दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्व-समान अधिसूचनाएँ, अर्थात। , धारा 4 दिनांक 31.03.2001 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना और धारा 6 घोषणा और अंतिम अधिसूचना दिनांकित

10.5.2002 एल. ए. अधिनियम। उक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सी. ए. सं. में अपीलार्थी। 9002-9003 2013 ने डब्ल्यू. पी. संख्या दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 18596/2006 और 11568/2008 क्रमशः धारा 4 दिनांकित के तहत एक बाद की प्रारंभिक अधिसूचना को चुनौती देते हुए

01.04.2005 और के. एच. बी. के प्रयोजन के लिए किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में धारा 6 घोषणा दिनांक 02.11.2006। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के फैसले के अनुसार उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संबंधित आवास योजना की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है

एल. कृष्णन के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखते हुए केएचबी अधिनियम के तहत केएचबी के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण शुरू करने के लिए। उक्त सामान्य निर्णय दिनांक 06.02.2009 को डब्ल्यू. ए. सं. के रूप में अपील में लिया गया था। 1244-45 / 2009 (एलबी-केएचबी)। इसकी विचाराधीनता के दौरान, उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित निर्णय के माध्यम से

28.06.2012 2007 में और संबंधित मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक स्वीकृत आवास योजना अपने उद्देश्य के लिए के. एच. बी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। जब 2013 की सिविल अपील में अपीलार्थी द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. No.46250/2004, रिट अपील संख्या की लंबितता को ध्यान में रखते हुए विचार के लिए आया। 1244-45 2009 का और डब्ल्यू. पी. No.18596/2006 और डब्ल्यू. पी. No.9593/2007 में दो विद्वान एकल न्यायाधीशों के परस्पर विरोधी निर्णयों और संबंधित मामलों के बारे में, इसे एक खंड पीठ को भेजा गया था। इसी आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने डब्ल्यू. पी. No.47616/2004 को भी एक खंड पीठ को संदर्भित किया।

7. रिट अपील सं. में निर्णय में। 1244-45 2009 का प्रभाग

पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इसमें शामिल भूमि को अधिनियम की धारा 33 को धारा 4 (2) के साथ पढ़कर अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था

एल. ए. अधिनियम और उत्तर दिए जाने वाले बिंदु की पहचान की, जैसा कि उस पर पारित निर्णय के अनुच्छेद 6 से देखा जा सकता है, इस प्रकारः -

" 6. इन अपीलों में हमें केवल एक ही बात का जवाब देना है कि क्या आवास बोर्ड को आवास की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है।

आवास योजना को लागू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत से पहले या नहीं, अधिनियम की धारा 24 के तहत योजना। इस संबंध में अनुच्छेद 7 भी प्रासंगिक है। यह.

इस प्रकार पढ़ता हैः

ई कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

" 7. अपीलार्थियों का यह तर्क है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत आवश्यकतानुसार स्वीकृत योजना के बिना,

अपीलार्थियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

8. अधिनियम की धारा 18 से 24 का उल्लेख करने के बाद, खंड पीठ ने पैराग्राफ 5 और 18 के माध्यम से इस प्रकार निर्णय दियाः -

" 14. धारा-18 से 24 तक पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त परियोजनाओं के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए आवास योजना या भूमि विकास योजना की मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा 24 के तहत सरकार से मंजूरी के बिना, आवास बोर्ड द्वारा कोई भी योजना निष्पादित नहीं की जाएगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आवास योजना या भूमि विकास योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करना योजना की सभी प्रारंभिक तैयारी, आवास परियोजना की तैयारी, भूमि विकास परियोजना, बजटीय प्रावधान, भूमि की पहचान या भूमि और आवश्यक कर्मचारियों का अधिग्रहण और अनुमान और धारा 18 से 23 के तहत विचार की गई अन्य चीजों की तैयारी के बाद ही उत्पन्न होगा। आवास योजना या भूमि विकास योजना के वास्तविक निष्पादन से पहले धारा-18 से 23 के सख्त अनुपालन के बाद ही मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। यू/एस 24 उत्पन्न होगा।

15. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर विचार करने के बाद, हम उनके आदेश में त्रुटि नहीं पा सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि भूमि की पहचान करने या भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 24 के तहत किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, हम निष्कर्षों से सहमत होकर उक्त बिंदु का उत्तर देते हैं।

विद्वान एकल न्यायाधीश।

16 ..... 17 .....

18. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपीलों को पुष्टि करने की अनुमति दी जाती है

आवास बोर्ड अधिनियम की धारा 24 के प्रश्न पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष पर, मामले को पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिया जाता है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है। ”

9. इस प्रकार, जाहिर है, डिवीजन बेंच, रिट अपील संख्या में 2013 के फैसले के अनुसार। 1244-45 / 2009 डब्ल्यू. पी. सं. में नियुक्त एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की। 18596/2006 और 11568/2008 वह [2022] 19 एस. सी. आर.

के. एच. बी. अधिनियम के तहत अनिवार्य अधिग्रहण की शुरुआत के लिए एक स्वीकृत आवास योजना की आवश्यकता नहीं है। सिविल अपील Nos.9002-9003/2013 रिट अपील संख्या में 26.04.2013 के फैसले और अंतिम आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। 1244-45 2009 से। यह एक तथ्य है कि उसी दिन, खंड पीठ, स्पष्ट रूप से रिट अपील संख्या में निर्णय पर भरोसा करती है। 1244-45 / 2009 , 2004 के डब्ल्यू. पी. Nos.46250 और 47616 को अलग-अलग निर्णयों के माध्यम से खारिज कर दिया गया। सिविल अपील Nos.7011-7013/2013 और 7017-7019 /

2013 संबंधित रिट याचिकाओं में 26.04.2013 दिनांकित निर्णय और अंतिम आदेश को चुनौती देने वाली परिस्थितियों में और रिट अपील संख्या में भरोसेमंद निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ भी दायर किए गए थे। 1244-45 / 2009 , दिनांकित 26.04.2013।

10. शीर्षक सिविल अपीलों में दलीलें और अपीलार्थियों के लिए संबंधित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलें 2013 के C.A.Nos.7011 7013,9002-9003 और 7017-7019 में पक्षों के सामान्य तर्क को प्रकट करती हैं कि केएचबी अधिनियम के तहत केएचबी के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण केएचबी अधिनियम की धाराओं 18-23 के संदर्भ में तैयार की जाने वाली आवास योजना का हिस्सा है और इसलिए, संबंधित आवास योजना की मंजूरी से पहले अधिग्रहण कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। चूंकि, अधिग्रहण की कार्यवाही

संबंधित आवास योजना (योजनाओं) की मंजूरी से पहले, उन्हें अमान्य माना जाना चाहिए और इस तरह, अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी, वे आगे तर्क देंगे। यह उक्त दलीलों का समर्थन करने के लिए है कि वे मोहम्मद यूसुफ के मामले (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा कर रहे हैं। के. एच. बी., जो विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील में अपीलार्थी है

एसएलपी (सी) No.1361/2021 का तर्क होगा कि केएचबी अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए अपने उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही

11. संबंधित प्रावधानों के अवलोकन और उपरोक्त सभी अपीलों में प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने पर हम सोचते हैं कि के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) का निर्माण अपीलों में शामिल बताए गए सामान्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सूचक होगा। उस प्रयास में, अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में यह भी पता लगाया जाना है कि क्या के. एच. बी. द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही के. एच. बी. अधिनियम के तहत परिभाषित एक आवास योजना का हिस्सा होगी। इसके उत्तर के अधीन, यह प्रश्न कि क्या 'अधिग्रहण करनाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. के आवास का हिस्सा है।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

संबंधित योजना की मंजूरी से पहले अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने की वैधता के बारे में योजना अपने आप में निर्णायक है, इस प्रयास में विचार किया जाना चाहिए।

12. अपीलार्थियों का मामला, (के. एच. बी. और उसके सह अपीलार्थी के अलावा) जो इस स्थिति का प्रचार करते हैं कि योजना को मंजूरी देना एक

अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत के. एच. बी. के लिए अनिवार्य अधिग्रहण के लिए पूर्व शर्त, मोहम्मद यूसुफ के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय और उक्त निर्णय पर भरोसा करने/संदर्भित करने वाले अन्य न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। इस संबंध में वे यह भी तर्क देते हैं कि टी. एन. एच. बी. अधिनियम (तत्कालीन मद्रास राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1961 के रूप में संदर्भित) के प्रावधान, जिन्होंने इस न्यायालय को कानून बनाने के लिए राजी किया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, के. एच. बी. अधिनियम में समान सामग्री के प्रावधान हैं। हम कर सकते हैं

मोहम्मद यूसुफ के मामले में (ऊपर) कथित प्रश्न और संबद्ध मुद्दों के समाधान के मामले में। मोहम्मद यूसुफ के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय के स्कैन किए गए विश्लेषण को देखते हुए इस न्यायालय ने एल. कृष्णन के मामले (ऊपर) में पैराग्राफ [2022] 19 एस. सी. आर. से निर्णय लिया है।

23 इसके बाद, हमें केवल मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय की प्रयोज्यता का जवाब देने के लिए एल. कृष्णन के मामले में निर्णय से प्रासंगिक पाठ और निष्कर्ष/निष्कर्षों का उल्लेख करने की आवश्यकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ को सिविल अपील संख्या में उत्पन्न प्रश्नों पर विचार करते हुए मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्धारित कानून की शुद्धता पर विचार करने के लिए कहा गया था। 1865-66 और 1992 का 1868-70। उन अपीलों को मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ लिखित याचिकाओं के एक समूह में निर्देशित किया गया था, जिसके तहत इसने आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत जारी तीन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था, जो मुख्य रूप से मोहम्मद यूसुफ के मामले में इस अदालत के फैसलों पर निर्भर था।

मामला (ऊपर) और मुंशी सिंह बनाम भारत संघ [(1973) 2 एस. सी. सी. 337] में। एल. कृष्णन के मामले के पैराग्राफ 22 में इस अदालत ने कहाः

" लेकिन इससे पहले कि हम उनका उल्लेख करें, उनसे निपटना उचित होगा।

टी. एन. राज्य में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

योजना तैयार करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है जिसके लिए जमीन की आवश्यकता है, लेकिन पहले नहीं।

(जोर दिया गया)

इस संदर्भ में पूछे गए पहले प्रश्न पर भी ध्यान देना उचित है।

एल. कृष्णन के मामले (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार, जिसका उल्लेख उसके पैराग्राफ 7 में इस प्रकार किया गया थाः

" इन अपीलों में पहला सवाल यह उठता है कि क्या

के तहत तैयार और प्रकाशित अंतिम और प्रभावी योजना

आवास बोर्ड अधिनियम के प्रावधान एक पूर्व शर्त है धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करना। यह सवाल होना चाहिए

भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों के संदर्भ में जवाब दिया गया आवास बोर्ड अधिनियम के साथ-साथ अधिनियम "।

(रेखांकित करें)

14. एल. कृष्णन के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ आगे

इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः

" हम शुरुआत में उल्लेख कर सकते हैं कि ये अपीलें की गई हैं दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तीन-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया

क्योंकि उन्हें मोहम्मद में निर्णय की शुद्धता पर संदेह था।

यूसुफ, दिनांकित 16.09.1993 आदेश के माध्यम से। ई कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर.

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]15. एल. कृष्णन के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 24 से 33 को अहमद यूसुफ के मामले में निर्णय की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के लिए निकाला जाना है ताकि इसमें शामिल बताए गए प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके।

ई. एस. अपील। पैराग्राफ 24 से 28 इस प्रकार हैं:

" 24. मोहम्मद यूसुफ के तथ्य ये हैं: भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य को तमिलनाडु द्वारा घरों का निर्माण बताया गया था। आवास बोर्ड। मान लीजिए कि उक्त अधिसूचना की तारीख तक आवास बोर्ड द्वारा एक मसौदा योजना भी तैयार नहीं की गई थी। इसके विपरीत, राज्य का तर्क था कि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने और ली गई भूमि पर कब्जा करने के बाद ही वे एक योजना तैयार करेंगे। वैकल्पिक रूप से, राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक योजना तैयार करना एक पूर्व शर्त नहीं है

भूमि की धारा 4 के तहत एक वैध अधिसूचना जारी करना

अधिग्रहण अधिनियम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव

आवास बोर्ड द्वारा घर। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसमें उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य बहुत अस्पष्ट था क्योंकि उस योजना से संबंधित विवरणों का अभाव था जिसके लिए अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने राय दी कि आवश्यक विवरणों के साथ ऐसी योजना के अभाव में भूमि-मालिक प्रभावी रूप से इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

धारा 5-ए द्वारा दिया गया अवसर। हालाँकि, इस न्यायालय में, प्रतिवादियों-भूमि मालिकों का मुख्य तर्क था कि आवास बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवास बोर्ड द्वारा एक योजना तैयार करना धारा 4 के तहत एक वैध अधिसूचना के लिए एक पूर्व शर्त है जहां भूमि का अधिग्रहण आवास बोर्ड के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है। उक्त विवाद को ध्यान में रखते हुए, यह

न्यायालय ने अधिनियम की योजना की जांच की और कहा कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाई गई योजना के निष्पादन का एक हिस्सा है, इसलिए अधिग्रहण योजना का पालन करना चाहिए और इससे पहले नहीं हो सकता है। पीठ ने आगे कहा कि जब तक कि आवश्यक विवरणों के साथ ऐसी कोई योजना न हो विधिवत प्रकाशित, भूमि-मालिकों के लिए इस आधार पर प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करना संभव नहीं हो सकता है कि भूमि योजना के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और/या यह कि यह उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। पीठ ने कहा कि बोर्ड की शक्ति

एक योजना अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभावित व्यक्तियों को पूरा अवसर प्रदान करती है - योजना पर आपत्ति। योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद भी [2022] 19 एस. सी. आर.

और इसके लागू होने के बाद, यह बताया गया था कि योजना को अभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है जैसा कि धारा 56 के तहत प्रदान किया गया है। एक्ट करें। इन सभी कारणों से, पीठ ने कहा किः (एस. सी. सी पी. 229, पैरा 11)

" धारा के साथ पठित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक कार्यवाही

25. दुर्भाग्य से, धारा 35 और धारा 36 की उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों को न तो पीठ के संज्ञान में लाया गया और न ही इसके पहले के संविधान पीठ के फैसले। न्यायालय ने अपने संज्ञान में लाया कि अब हम किन निर्णयों की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन उनका उल्लेख करने से पहले एक और प्रासंगिक पहलू।

26. विवादित फैसले के बाद और उसके आलोक में, तमिलनाडु विधानमंडल ने आवास बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया है।

उक्त निर्णय के आधार को हटाने और एक योजना के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रदान करने की दृष्टि से पूर्वव्यापी प्रभाव

अपील करें। वास्तव में, श्री साल्वे का तर्क था कि उक्त संशोधन अधिनियम के संदर्भ के बिना भी उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है और इसी आधार पर उन्होंने अपनी दलीलें दीं। 27. अर्नोल्ड रोड्रिक्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य, संविधान पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या धारा 4 के तहत अधिसूचना में बयान कि भूमि की आवश्यकता थी

" औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र के रूप में उक्त भूमि के विकास और उपयोग को सार्वजनिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 का अर्थ। अदालत ने बाबू बरक्या मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया

ठाकुर बनाम। बॉम्बे राज्य (एस. सी. आर. पी. 137) और पंडित झंडू लाई बनाम। पंजाब राज्य-साथ ही राज्य सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में बयान कि अधिसूचना में बताया गया उद्देश्य वास्तव में एक सार्वजनिक उद्देश्य है। संविधान

पीठ ने बताया कि बाबू बरक्या ठाकुर मामले में, इस न्यायालय ने बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे मामले में निर्णय पर भरोसा किया था।

भंजी मुंजी से लेकर ई कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. तक। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

प्रभाव कि "बेघरों को आवास प्रदान करना

एक सार्वजनिक उद्देश्य है (और वह) जहां का एक बड़ा वर्ग समुदाय चिंतित है, उसका कल्याण सार्वजनिक चिंता का विषय है।

सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में समझाया गया है

कि बॉम्बे में आवास का दबाव तीव्र है और वहाँ

नए आवास की कोई भी मात्रा की आवश्यकता थी। न्यायालय (बहुमत) यह देखा गयाः

" हमारे विचार में जीवित व्यक्तियों के एक बड़े अनुपात का कल्याण

बॉम्बे में सार्वजनिक चिंता और अधिसूचनाओं का विषय है

और यह सार्वजनिक उद्देश्य है। 28. याचिकाकर्ताओं के लिए आग्रह किया गया एक अन्य तर्क यह था कि

सरकार ने जारी करने से पहले कोई योजना तैयार नहीं की थी।

धारा 4 के तहत अधिसूचना। इस तर्क को भी नकार दिया गया था

निम्नलिखित शब्दः

" यह सच है कि सरकार ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है।

विकसित स्थलों के उपयोग के लिए योजना। लेकिन अधिसूचना यह स्वयं दर्शाता है कि इन स्थलों का उपयोग आवासीय और औद्योगिक के रूप में किया जाएगा

साइटें। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें योजना तैयार करने की आवश्यकता हो।

धारा 4 या धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले

अधिनियम। हालाँकि, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार,

साइटों का निपटान करने से पहले, उनके निपटान के लिए एक योजना बनाएँ।

(जोर दिया गया)

16. एल. कृष्णन के मामले में इस तरह का संदर्भ देने के बाद यह था

पैराग्राफ 29 से 33 में इस प्रकार कहा गया हैः

“ 29. हम यहाँ पहले यह मान चुके हैं कि केवल इसलिए कि आवास

बोर्ड अधिनियम आवास के हिस्से के रूप में भूमि अधिग्रहण पर विचार करता है।

या सुधार योजना, यह नहीं है कि किसी भी भूमि की आवश्यकता नहीं है

आवास बोर्ड अधिनियम के उद्देश्य के लिए तब तक अधिग्रहण किया जा सकता है जब तक और जब तक बोर्ड द्वारा कोई योजना तैयार और अंतिम रूप नहीं दी जाती है और

अध्याय VII में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावी हो जाता है।

30. अफ़लातून वी. दिल्ली के उपराज्यपाल, एक और संविधान पीठ ने इसी तरह के विवाद पर विचार किया। , कि प्रकाशित करने से पहले

धारा 4 के तहत अधिसूचना, सरकार ने घोषित नहीं की थी

धारा 12 (1) के तहत विकास क्षेत्र के रूप में दिल्ली का कोई भी क्षेत्र

दिल्ली विकास अधिनियम न ही कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया था [2022] 19 एस. सी. आर.

उस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार। धारा 4 के तहत अधिसूचना पर उसी आधार पर हमला किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 12 (3) के अनुसार, भूमि का कोई भी विकास नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसमें प्रावधान किया गया है।

उप-अनुभाग। इस तर्क को संविधान पीठ ने नकार दिया और कहा किः (एससीसी पीपी। 294-95 , पैरा 23)

" दिल्ली के नियोजित विकास का निर्णय सरकार द्वारा 1959 से पहले लिया गया था। , दिल्ली विकास अधिनियम लागू होने से पहले भी। यह सच है कि दिल्ली का कोई नियोजित विकास नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि

उस अधिनियम के बाद दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधान लागू हुए, लेकिन मास्टर प्लान से पहले अधिनियम के तहत दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई रोक नहीं थी

तैयार था (पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम में निर्णय देखें। लक्ष्मी देवी)। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी या मंजूरी के साथ विकास क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में वास्तविक विकास की अनुमति नहीं है।

केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने से रोकें। धारा 12 केवल नियोजित विकास से संबंधित है। इसका संपत्ति के अधिग्रहण से कोई लेना-देना नहीं है; अधिग्रहण आम तौर पर पहले होता है।

विकास। विकास क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में नियोजित विकास के लिए, धारा 12 (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार केवल स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। केंद्र सरकार इसके तहत किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

अधिनियम बनाएँ और स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे विकसित करें।

(जोर दिया गया)

31. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 में केंद्र सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है और यह आगे भी है। बशर्ते कि उक्त अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र में भूमि का कोई विकास नहीं करेगा या नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है। तथापि, धारा 12 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बाद, किसी भी क्षेत्र में किसी के द्वारा भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा, जब तक कि (i) जहां

वह क्षेत्र एक विकास क्षेत्र है, इस तरह के विकास के लिए अनुमति ई कर्नाटक आवास बोर्ड और एएनआर।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

विकास क्षेत्र के अलावा, स्थानीय प्राधिकरण का अनुमोदन या अन्य संबंधित प्राधिकारी कानून के अनुसार प्राप्त किया जाता है। अनुभाग

15 उक्त अधिनियम के लिए आवश्यक किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान किया गया है

अधिनियम के तहत विकास का उद्देश्य।

32. हमारी राय में, टिप्पणियों को उद्धृत किया गया और उन पर जोर दिया गया

दिल्ली अधिनियम और तमिलनाडु आवास बोर्ड अधिनियम, कि भूमि का अधिग्रहण तैयारी पर निर्भर नहीं है

और धारा 37 से 56 के तहत एक योजना का अनुमोदन और

सरकार की अधिग्रहण की शक्ति अन्य उद्देश्यों तक फैली हुई है -

धारा 35 में निर्दिष्ट बोर्ड और आवास बोर्ड अधिनियम

और 36. इसके अलावा, तमिलनाडु आवास बोर्ड के तहत भी

बोर्ड के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण पर कोई रोक नहीं

योजना के अनुसार और एक भाग के रूप में छोड़कर।

33. उपरोक्त सभी कारणों से, हमें होल्डिंग को पढ़ना मुश्किल लगता है

मोहम्मद यूसुफ में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में भूमि नहीं हो सकती है अधिनियम/बोर्ड के उद्देश्य के लिए अर्जित किया गया जब तक कि अंतिम और

प्रभावी योजना आवास बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है धारा 37 से 56 के प्रावधान। उक्त सीमा केवल लागू होती है।

जहाँ इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है।

द्वारा तैयार आवास या सुधार योजना के निष्पादन का

तमिलनाडु आवास के अध्याय VII के तहत आवास बोर्ड

अधिनियम, मोहम्मद यूसुफ का सिद्धांत और अनुपात आकर्षित नहीं होता है। अधिसूचना में केवल यह कथन कि भूमि की आवश्यकता है

आवास बोर्ड का उद्देश्य स्वयं उक्त को आकर्षित नहीं करेगा सिद्धांत और अनुपात। तत्काल अपीलों में, अधिसूचनाएँ नहीं होती हैं

यहाँ तक कि यह भी कहें कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए है

आवास बोर्ड का उद्देश्य "।

(जोर दिया गया)

17. इस प्रकार, मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णयों का अवलोकन .....कृष्णन के मामले (ऊपर) से पता चलता है कि दोनों निर्णय [2022] 19 एस. सी. आर.

एल. ए. अधिनियम और टी. एन. एच. बी. अधिनियम के तहत प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे। यह सच है कि मोहम्मद यूसुफ के मामले में इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मद्रास राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1961, जिसे बाद में 'टी. एन. एच. बी. अधिनियम' के रूप में पुनर्नामित किया गया, के तहत प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही, जिसे आवास बोर्ड अधिनियम की धारा 70 के साथ पढ़ा जाता है, उस योजना के निर्माण के बाद ही शुरू की जा सकती है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, और उससे पहले नहीं। लेकिन फिर, मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह करने पर, इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों ने अपीलों (एल. कृष्णन के मामले के तहत निर्णय) को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। उन अपीलों में एल. कृष्णन के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से न तो धारा 25 की उप-धारा (2) और (3) और 1961 के अधिनियम 17 की धारा 36 के प्रावधानों और न ही इस अदालत के पहले के संविधान पीठ के फैसलों को उस पीठ के संज्ञान में लाया गया था जिसने मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय दिया था। इसके बाद, 1961 के अधिनियम 17 के तहत सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर, उसी अधिनियम के प्रावधान जिन पर मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय में विचार किया गया था या जिन पर विचार नहीं किया गया था और विभिन्न

एल. कृष्णन के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:

" उपरोक्त सभी कारणों से, हमें मोहम्मद में होल्डिंग को पढ़ना मुश्किल लगता है। यूसुफ ने कहा कि किसी भी स्थिति में अधिनियम/बोर्ड के उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अंतिम और प्रभावी न हो।

योजना आवास बोर्ड द्वारा प्रावधानों के तहत तैयार की गई है

धारा 37 से 56 "।

18. एल. कृष्णन के मामले में पूर्व में निकाले गए पाठों से पता चलता है कि मोहम्मद यूसुफ के मामले में उपरोक्त स्थिति थी

तमिलनाडु आवास के अध्याय VII के तहत आवास बोर्ड द्वारा तैयार आवास या सुधार योजना के निष्पादन के उद्देश्य से बोर्ड अधिनियम। आगे इसे पैराग्राफ 33 में ही इस प्रकार स्पष्ट किया गया था:

" दूसरे शब्दों में, जब तक कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि तमिलनाडु आवास बोर्ड अधिनियम के तहत आवास बोर्ड द्वारा बनाई गई आवास या सुधार योजना (यानी एक अंतिम और प्रभावी योजना) को लागू करने के लिए आवश्यक है, सिद्धांत और मोहम्मद का अनुपात।

यूसुफ आकर्षित नहीं होता है। कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

19. सार्वजनिक उद्देश्य के मामले में अस्पष्टता का विवाद

अफ़लातून बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर

संबंधित आवास योजना की मंजूरी और/या प्रकाशन/भूमि विकास योजना, निर्णय को देखते हुए अमान्य है। मोहम्मद यूसुफ के मामले में असमर्थनीय है। तो भी, यह तर्क कि मोहम्मद यूसुफ के मामले अधिग्रहण कार्यवाही [2022] 19 एस. सी. आर. में निर्णय को देखते हुए।

आवास योजना/भूमि विकास योजना का हिस्सा है और इसलिए, संबंधित आवास योजना/भूमि अधिग्रहण योजना की मंजूरी और/या प्रकाशन से पहले के. एच. बी./के. एच. बी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण को अमान्य नहीं माना जा सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विवादास्पद प्रश्न और संबद्ध मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और मोहम्मद यूसुफ के मामले में निर्णय के संदर्भ के बिना स्वतंत्र रूप से जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन एल. ए. अधिनियम के साथ-साथ के. एच. बी. अधिनियम के संदर्भ में। मामले के उस दृष्टिकोण से, अब हम एल. ए. अधिनियम और के. एच. बी. अधिनियम के संदर्भ में उन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, न कि विभिन्न अधिनियमों के तहत घोषित अन्य प्राधिकरणों के संदर्भ में। हम ऑफशोर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले से उस दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। लिमिटेड बनाम। बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। (2011) 3 एससीसी 139। जहाँ तक प्रासंगिक है, यह इस प्रकार हैः

" 85 ..... प्रत्येक निर्णय में वर्णित उक्ति लागू की जानी चाहिए

मामले के तथ्यों के साथ-साथ इसके संचयी प्रभाव के संदर्भ में। इसी तरह, एक क़ानून का अर्थ इस संदर्भ में लगाया जाना चाहिए - एक सुसंगत अधिनियम बनाने के लिए संदर्भ और इसके प्रावधान अर्थात

एक्स विसेरिबस एक्टस "।

22. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक अधिनियम में एक विशेष प्रावधान (ओं) के तहत प्राप्त स्थिति के संबंध में दिया गया निर्णय एक अलग अधिनियम के तहत आने वाली समान स्थिति से निपटने के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि तथ्यों और कानून को देखे बिना उस अधिनियम में समान सामग्री प्रावधान (ओं) मौजूद न हों।

23. अब, हम इस मुद्दे का जवाब देने के लिए केएचबी अधिनियम की योजना पर पैनोरमा रखने के लिए विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। सवाल करते हैं। के. एच. बी. अधिनियम की धारा 2 में ऐसी परिभाषाएँ हैं और उनमें से प्रासंगिक को नीचे निकाला गया हैः

" एस. 2 परिभाषाएँः - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ हैं।

(क) "बोर्ड" से निम्नानुसार गठित आवास बोर्ड अभिप्रेत है -

खंड 3 '

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए अध्याय VI के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो

अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा;
(ज) "आवास योजना" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत एक आवास योजना; ई कर्नाटक आवास बोर्ड और अन्य।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

(i) "भूमि" में भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीजों से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं या स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़े लाभ शामिल हैं।

पृथ्वी;

(i-1) "भूमि विकास योजना" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र में आवास प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई योजना।

क्षेत्र; ("कार्यक्रम" से बोर्ड द्वारा धारा के तहत तैयार वार्षिक आवास कार्यक्रम और भूमि विकास कार्यक्रम अभिप्रेत है।

19 ;

24. अध्याय III (धारा 17 से 32 ए) एनजी योजनाओं और भूमि विकास योजनाओं के लिए प्रावधान करता है और उनसे संबंधित है। प्रासंगिक प्रावधान

ई इन मामलों के उद्देश्य को इन्फ्रा से निकाला जाता हैः

विकास योजनाएं। - इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, बोर्ड व्यय कर सकता है और इसके लिए किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता है

ऐसी आवास योजनाओं और भूमि का निर्माण और निष्पादन विकास योजनाएं जो वह समय-समय पर आवश्यक समझती हैं या जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जा सकती हैं।

18. आवास योजनाओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला मामला।

तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक आवास योजना सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकती है निम्नलिखित मामले, अर्थात्।

(अ)

किसी वस्तु की खरीद, विनिमय या अन्यथा अधिग्रहण

निष्पादन के लिए आवश्यक या प्रभावित संपत्ति

योजना;

(ख)

में शामिल किसी भी भूमि को बिछाना या बाहर निकालना

योजना;

मालिकों से संबंधित साइटों का वितरण या पुनर्वितरण

((ग)

योजना में शामिल संपत्ति का;

((घ)

मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त आवासों को बंद करना या ध्वस्त करना निवास;

अवरोधक इमारतों या उनके कुछ हिस्सों को ध्वस्त करना

(ई)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण, उनके

(च)

रखरखाव और संरक्षण;

में शामिल किसी भी संपत्ति की बिक्री, पट्टे या विनिमय

(जी)

योजना;

(ज)

सड़कों और पिछली गलियों का निर्माण और परिवर्तन;

((i)

जल निकासी, जल आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान

योजना में शामिल क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र में बोर्ड द्वारा किया जाने वाला कार्य, जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति कार्य;

उद्यानों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों का प्रावधान

(जे)

योजना में शामिल किसी भी क्षेत्र का लाभ और मौजूदा उद्यानों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और दृष्टिकोण का विस्तार;

(के)

क्षेत्र के लिए आवश्यक स्वच्छता व्यवस्था का प्रावधान योजना में शामिल, जिसमें नदियों या अन्य क्षेत्रों में किसी भी नुकसान या संदूषण का संरक्षण और रोकथाम शामिल है।

पानी के स्रोत और साधन-आपूर्ति;

( ) 1 ( ) (() () (निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए आवास का प्रावधान;

योजना के उद्देश्य के लिए धन की अग्रिम राशि;

संचार और परिवहन के लिए सुविधाओं का प्रावधान; ऐसी जानकारी और आंकड़ों का संग्रह जो हो सकता है

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक; कोई अन्य मामला जिसके लिए राज्य सरकार की राय में आवास प्रदान करने और योजना में शामिल किसी भी क्षेत्र के सुधार या विकास के लिए प्रावधान करना समीचीन है या

योजना की सामान्य दक्षता।

18 - ए. भूमि विकास योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले मामले। - किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

कुछ समय के लिए, एक भूमि विकास योजना योजना में शामिल क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकती है, अर्थात्:

(अ)

किसी भी वस्तु की खरीद, विनिमय या अन्यथा द्वारा अधिग्रहण

भूमि जिसके लिए बोर्ड की राय में आवश्यक होगा

या योजना के निष्पादन से प्रभावित; ई कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर.

(ख) योजना में शामिल सभी या किसी भी भूमि का बिछाना या पुनः बिछाना।

और सड़कों का निर्माण और परिवर्तन;

((ग)

जल निकासी, जल आपूर्ति और बिजली और द्वारा निष्पादित

योजना में शामिल क्षेत्र में बोर्ड, जल निकासी

सीवर और जल आपूर्ति कार्य;

में शामिल साइटों का वितरण या पुनर्वितरण

((घ)

योजना;

(ई)

किसी भी भूमि का स्तर बढ़ाना जिस पर बोर्ड विचार कर सकता है

बेहतर जल निकासी की सुविधा के लिए उठाने के लिए समीचीन; क्षेत्र के बेहतर वेंटिलेशन के लिए खुली जगह बनाना

(च)

योजना या किसी आस-पास के क्षेत्र में शामिल;

(जी)

स्वच्छताक व्यवस्था आवश्यक;

पार्क, खेल के मैदान, स्टेडियम, मनोरंजन के लिए स्थल,

(ज)

स्कूल भवन, बाजार, मोटर वाहन स्टैंड, थिएटर, पुलिस स्टेशन, डाकघर, सहकारी समितियाँ, सार्वजनिक मूत्रालय और शौचालय, पेट्रोल सेवा केंद्र, अस्पताल, औषधालय, बैंक, कब्रिस्तान और दाह संस्कार स्थल और

अन्य प्रकार के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए साइटें।

19. वार्षिक आवास कार्यक्रम और भूमि विकास कार्यक्रम बजट और स्थापना अनुसूची तैयार करना और प्रस्तुत करना। - (1) प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले दिन से पहले, बोर्ड तैयार करेगा और आगे बढ़ेगा,

((i)

एक कार्यक्रम,

((ख)

अगले साल का बजट,

अधिकारियों और सेवकों के कर्मचारियों की एक अनुसूची पहले से ही

(iii)

अगले वर्ष के दौरान नियोजित और नियोजित किया जाना;

राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाए। (2) कार्यक्रम में शामिल होंगे।

(क) आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं के ऐसे विवरण जिन्हें बोर्ड ने इस अवधि के दौरान आंशिक या पूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव किया है।

अगले वर्ष जैसा कि निर्धारित किया जाए; [2022] 19 एस. सी. आर.

बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी भी उपक्रम का विवरण

(ख)

इस उद्देश्य के लिए अगले वर्ष के दौरान आयोजन या निष्पादन करना।

निर्माण सामग्री का उत्पादन; और

((ग)

ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।

(3) बजट में अगले वर्ष के लिए पूंजी और राजस्व खातों पर अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण होगा।

20. कार्यक्रम, बजट और स्थापना अनुसूची को मंजूरी। - राज्य सरकार इस कार्यक्रम को मंजूरी दे सकती है,

22. पूरक कार्यक्रम और बजट। - बोर्ड, वर्ष के दौरान किसी भी समय, जिसके संबंध में धारा 20 के तहत एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, एक पूरक प्रस्तुत कर सकता है। कार्यक्रम और बजट और कर्मचारियों की अतिरिक्त अनुसूची, यदि

राज्य सरकार और धारा 20 और 21 के प्रावधान ऐसे पूरक कार्यक्रम पर लागू होंगे।

23. इसके बाद बोर्ड द्वारा कार्यक्रम में बदलाव को मंजूरी दी जाती है। बोर्ड, किसी भी समय, राज्य द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल किसी भी कार्यक्रम या उसके किसी भी हिस्से को बदल सकता है।

सरकार;

बशर्ते कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा यदि इसमें किसी आवास योजना या भूमि के निष्पादन के लिए मूल रूप से स्वीकृत राशि के बीस प्रतिशत से अधिक खर्च शामिल है।

इस तरह के कार्यक्रम में शामिल विकास योजना या इसके प्रभाव

दायरा या उद्देश्य। 24.स्वीकृत आवास योजनाएं और भूमि विकास

कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं। (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 20 और 21 के तहत कार्यक्रम को मंजूरी और प्रकाशित करने के बाद, बोर्ड, धारा 23 के प्रावधानों के अधीन, कार्यक्रम में शामिल आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

(2) बोर्ड किसी भी आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

32.सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपी गई योजनाएं, आदि। — (1) धारा 18 से 24 (दोनों सहित) के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपी गई किसी भी आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना पर लागू नहीं होंगे।

राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले संशोधन, और ऐसा प्रत्येक आदेश -

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बोर्ड लाभ के लिए किसी भी व्यापार या वित्तपोषण गतिविधि को करने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वह उसके द्वारा शुरू की गई या सौंपी गई किसी योजना के निष्पादन में हो या अन्यथा।

25. के. एच. बी. अधिनियम के पूर्व-निकाले गए प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन आवास योजनाओं को शुरू करने के रूप में के. एच. बी. के कर्तव्यों को उजागर करेगा। और भूमि विकास योजनाएं जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे या जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी जाएं। धारा 18 और 18ए के तहत क्रमशः आवास योजनाओं और भूमि विकास योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले मामलों का उल्लेख किया गया है। धारा 2 (एन) 'कार्यक्रम' का अर्थ है धारा 19 के तहत के. एच. बी. द्वारा तैयार वार्षिक आवास कार्यक्रम और भूमि विकास कार्यक्रम। धारा 19 आदेश देती है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले दिन से पहले, के. एच. बी.

एक कार्यक्रम तैयार करेगा और अगले वर्ष के लिए एक बजट और पहले से ही कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्मचारियों की एक अनुसूची तैयार करेगा।

और अगले वर्ष के दौरान राज्य सरकार को नियुक्त किया जाएगा। उक्त धारा के अनुसार, उक्त कार्यक्रम में आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं के ऐसे विवरण शामिल होंगे जिन्हें अगले वर्ष के दौरान आंशिक या संपूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव है जो निर्धारित किया जाए। धारा 20 के तहत राज्य

सरकार कार्यक्रम, बजट और अधिकारियों और सेवकों के कर्मचारियों की अनुसूची को मंजूरी दे सकती है जो उसे इस तरह से भेजी जाती है - जैसा उचित लगे वैसा परिवर्तन करें। धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकार धारा 20 के तहत अपने द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगी। धारा 22 पूरक प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

कार्यक्रम और बजट जिसके संबंध में धारा 20 के तहत एक कार्यक्रम और बजट को मंजूरी दी गई थी और प्रस्तुत करने की स्थिति में [2022] 19 एस. सी. आर.

ऐसे पूरक कार्यक्रम और बजट के लिए धारा 20 और 21 के प्रावधान लागू होंगे।

26. धारा 23 बोर्ड को किसी भी कार्यक्रम को बदलने की शक्ति प्रदान करती है।

या राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल कोई भी हिस्सा। इसके तहत परंतुक के खाली अवलोकन से पता चलेगा कि यह एक निरंकुश शक्ति नहीं है। परंतुक के अनुसार, ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा यदि इसमें 20 प्रतिशत से अधिक का खर्च शामिल है।

ऐसे कार्यक्रम में शामिल किसी आवास योजना या भूमि विकास योजना के निष्पादन के लिए मूल रूप से स्वीकृत राशि का प्रतिशत या उसके दायरे या उद्देश्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार के. बी. एच. अधिनियम के अध्याय-3 में निहित धारा 17 से 23 के तहत प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि वे आवास योजनाओं और भूमि विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए के. एच. बी. के कर्तव्यों, ऐसी योजनाओं में शामिल किए जाने वाले मामलों, वार्षिक आवास कार्यक्रम और भूमि की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित हैं।

विकास कार्यक्रम, बजट और स्थापना अनुसूची और इस प्रकार

कार्यक्रम की मंजूरी के लिए अंततः पालन की जाने वाली अन्य प्रक्रियाएं और स्वीकृत प्रक्रियाओं में भिन्नता करने के लिए के. एच. बी. की शक्ति

कार्यक्रम और इसकी सीमा।

27. केएचबी अधिनियम की योजना के अनुसार, यह आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम के निष्पादन के विषय से संबंधित है।

धारा 24 के तहत आवास योजनाएं। धारा 18-23 के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम केएचबी अधिनियम की धारा 24 के दायरे और उद्देश्य पर विचार करेंगे। धारा 24 की उप-धारा (1) और (2) की सावधानीपूर्वक जांच से उनके विशिष्ट अंतर सामने आएंगे। धारा 24 (1) में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम को मंजूरी और प्रकाशित करने के बाद बोर्ड, धारा 23 के प्रावधानों के अधीन, कार्यक्रम में शामिल आवास योजना, भूमि विकास योजना और श्रम आवास योजना को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस प्रकार, धारा 24 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि के. एच. बी. कार्यक्रम में शामिल आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं को कब लागू करेगा। निर्विवाद रूप से, उक्त वैधानिक जनादेश के संदर्भ में के. एच. बी. उपरोक्त में से किसी को भी निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

कार्यक्रम की मंजूरी और प्रकाशन के बाद ही योजनाओं को कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, जिसमें संबंधित योजना शामिल होती है।

28. अब हम आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास की निष्पादन क्षमता या अन्यथा के सवाल पर विचार करेंगे।

के. एच. बी. द्वारा किसी कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के अलावा अन्य योजनाएं। के रूप में पहले देखा गया कि धारा 24 (1) में स्पष्ट शब्द कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. को प्रकट करेंगे।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

उप-धारा के तहत, स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं की निष्पादन क्षमता को सकारात्मक रूप से इंगित करता है। वास्तव में इसे एक नकारात्मक रूप में जोड़ा गया है, जैसा कि इसकी उप-धारा (2) से देखा जा सकता है, जिसे यहां पहले निकाला गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार के. एच. बी. निष्पादित नहीं करेगा। कोई आवास योजना, भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो।

29. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कौन सी उप-धारा (2) ऐसी योजना के निष्पादन को प्रतिबंधित करती है, चाहे वह आवास योजना हो या भूमि विकास योजना। या श्रम आवास योजना, जो स्पष्ट रूप से किसी विशेष वर्ष के लिए कार्यक्रम में शामिल नहीं है, जब तक कि उसे राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो।

सरकार। सटीक शब्दों में कहें तो उप-धारा (1) और (2) के तहत आने वाली योजनाएं अलग-अलग हैं। यदि वे कार्यक्रम में शामिल ऐसी योजनाओं की निष्पादन क्षमता के समय के संबंध में धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत सकारात्मक जनादेश को देखते हुए एक ही हैं, अर्थात। , राज्य सरकार द्वारा उनकी मंजूरी और प्रकाशन के बाद ही, वहाँ था

धारा के तहत उप-धारा (2) को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 24 नकारात्मक रूप में। निश्चित रूप से, उप-धारा (2) के तहत विधायी इरादे को केवल एक के रूप में लिया जा सकता है जो के. एच. बी. को ऐसी योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाता है जो अपवाद के रूप में कार्यक्रम में शामिल नहीं थीं, लेकिन

निष्पादन से पहले राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की शर्त के अधीन। संक्षेप में, समग्र रूप से, धारा 24 का उद्देश्य यह है कि कोई आवास योजना या भूमि विकास योजना या श्रम आवास नहीं है

के. एच. बी. द्वारा शुरू की गई योजना को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना लागू किया जाएगा। उप-धारा 24 की धारा (2) की व्याख्या नहीं की जा सकती है

जैसे कि ऐसे निष्पादन के लिए दूसरी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है

कार्यक्रम में शामिल योजनाएं। इसके विपरीत, धारा 24 (2) के तहत प्रावधान की व्याख्या केएचबी को ऐसी योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाने के रूप में की जानी चाहिए जो कार्यक्रम में शामिल नहीं थीं, लेकिन सरकार से मंजूरी के अधीन, शुरू करने के लिए आवश्यक हो गईं। हमारे अनुसार, इस तरह का निर्माण केवल के. एच. बी. के गठन के उद्देश्य को पूरा करेगा।

कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि, भूमि की आवश्यक सीमा के बिना, आवास और श्रम आवास योजनाओं के तहत घरों का निर्माण या भूमि विकास योजनाओं के तहत भूमि का विकास प्रभावित नहीं किया जा सकता था। यह एक तथ्य है कि केएचबी अधिनियम में 'निष्पादन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, सवाल यह है कि धारा 24 और धारा 33 (2) की उप-धाराओं (1) और (2) में प्रयुक्त 'निष्पादन/निष्पादन' अभिव्यक्तियों को कैसे समझा जाए। इस संबंध में संविधान के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए के. एच. बी. और इसके कर्तव्यों, उक्त अभिव्यक्ति के शब्दकोश अर्थ पर गौर किया जाना चाहिए। तदनुसार, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवें संस्करण में 'निष्पादन' शब्द के लिए दिए गए निम्नलिखित अर्थ, केएचबी अधिनियम की धारा 24 (2) और 33 (2) में नियोजित 'निष्पादन' या 'निष्पादन' अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं:

(1) प्रदर्शन या पूरा करने के लिए (एक अनुबंध या कर्तव्य);

किसी चीज़ का प्रदर्शन या समापन;

(2)

(3)

किसी कार्रवाई की अंतिम प्रक्रिया।

31. के. एच. बी. अधिनियम का अध्याय-IV भूमि अधिग्रहण और निपटान से संबंधित है। धारा 33 इस प्रकार है:

" एस. 33. समझौते द्वारा खरीदने या पट्टे पर देने की शक्ति। - (1) बोर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकता है उससे खरीद, पट्टा या विनिमय द्वारा अधिग्रहण, या कोई भी भूमि जो आवास योजना या भूमि के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है

विकास योजना या ऐसी भूमि में कोई ब्याज या

किसी भी संबंध में ऐसे किसी भी अधिकार के मालिकों को क्षतिपूर्ति करना

उससे वंचित करना या उसमें हस्तक्षेप करना:

वर्षों से। (2) बोर्ड इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में दिए गए तरीके से आवास योजना या भूमि विकास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी भूमि या किसी भी ब्याज के अनिवार्य अधिग्रहण और कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. के लिए किसी भी भूमि या उसमें किसी भी ब्याज के अधिग्रहण के लिए भी कदम उठा सकता है।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

इस अधिनियम के उद्देश्यों को अधिग्रहण माना जाएगा

भूमि अधिग्रहण के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्य अधिनियम, 1894 ",

धारा 33 को बाद में वर्ष 2016 में प्रतिस्थापित किया गया था।

2016 का अधिनियम 24। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिस्थापन इन कार्यवाही में आक्षेपित अधिसूचनाओं के बाद हुआ था, हमारे लिए उक्त प्रतिस्थापित प्रावधान पर गौर करना अनावश्यक है। वास्तव में, नहीं। उक्त प्रावधान के संदर्भ में किसी ने भी गंभीर तर्क दिया था।

32. अध्याय-IV की धारा 33 वास्तव में की शक्ति से संबंधित है

के. एच. बी. भूमि अधिग्रहण करेगा। उप-धारा (1) और (2) में अधिग्रहण के विभिन्न तरीकों की परिकल्पना की गई है जो प्रकृति में भिन्न हैं। इसे संक्षेप में रखने के लिए, धारा 33 (1) के तहत अधिग्रहण के मामले में 'सहमति' की आवश्यकता होती है और अनिच्छुक मालिकों के संबंध में अधिग्रहण उप के तहत किया जा सकता है।

इसकी धारा (2)। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 33 भूमि अधिग्रहण या उस पर ब्याज से संबंधित है और यह इसके बारे में नहीं है।

योजनाओं की मंजूरी। जाहिर है, भूमि या उस पर ब्याज प्राप्त करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता करने पर, धारा 33 (1) के तहत निर्धारित तीन तरीकों में से किसी का भी पालन करके राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है, जो इसके परंतुक के अधीन है।

33. धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत, केएचबी किसी भी व्यक्ति के साथ खरीद द्वारा उससे अधिग्रहण के लिए समझौता कर सकता है,

5 साल से अधिक। आवश्यक परिणाम यह है कि ऐसी योजनाओं के प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी या तो खरीद, पट्टा या विनिमय द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें भूमि की कीमत Rs.10 शामिल है। लाख या उससे कम और पट्टे के मामले में यदि यह 5 साल या उससे कम अवधि के लिए है।

34. धारा 33 की उप-धारा (2) के. एच. बी. को किसी भी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण या उसमें किसी भी हित के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देती है। आवास योजना या भूमि विकास योजना का निष्पादन।

35. आवास योजना या भूमि विकास योजना के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में ऐसी पूर्व मंजूरी उसकी उप-धारा (2) के तहत निर्धारित की जाती है। कारण स्पष्ट है। उप-धारा (2) के अवलोकन से पता चलेगा कि इसके तहत किसी भी भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण क्या अनुमत है।

उस पर एल. ए. अधिनियम में यथासंशोधित तरीके से उपबंधित किया गया है

ई केएचबी अधिनियम। एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) में संदर्भ के लिए योग्य है

पाठ और यह इस प्रकार पढ़ता है:

" एस. 4 प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन और इसकी शक्ति इसके अधिकारी।

(1) जब भी यह [उपयुक्त सरकार] को दिखाई देता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य [या किसी कंपनी के लिए] की आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की अधिसूचना जारी की जाती है।

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा [और दो दैनिक में] उस इलाके में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र जिनमें से कम से कम एक

और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा [(ऐसे प्रकाशन की तारीखों में से अंतिम और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)]। "

36. लेकिन फिर, धारा 4 (1) कर्नाटक राज्य में अपने आवेदन में

जैसा कि नीचे दिया गया है:

मूल अधिनियम की धारा 4 में, (1) उप-धारा (1) में,

(अ)

"उपयुक्त सरकार" शब्दों के बाद, शब्द " या उपायुक्त को शामिल किया जाएगा;

(ख)

"उस प्रभाव के लिए अधिसूचना" शब्दों के लिए, शब्द

" अधिसूचना जिस उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, या जिसकी आवश्यकता होने की संभावना है, और भूमि का वर्णन इसकी सर्वेक्षण संख्या, यदि कोई हो, और इसकी सीमाओं और इसकी सीमाओं द्वारा भी किया गया है।

अनुमानित क्षेत्र "को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"कथित स्थान" शब्दों के बाद, निम्नलिखित वाक्य

((ग)

और स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,

" उपायुक्त इस प्रकार की एक प्रति भी दे सकता है।

मालिक को दी जाने वाली अधिसूचना, या जहाँ मालिक नहीं है

भूमि पर कब्जा करने वाला "। कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

स्पष्टीकरण। - "सुविधाजनक स्थान" शब्द में, गाँव में स्थित भूमि के मामले में, पंचायत का कार्यालय शामिल है।

जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि आती है। यह राज्य संशोधन भूमि अधिग्रहण (मैसूर) के माध्यम से लाया गया था।

1961 का विस्तार और संशोधन अधिनियम) अधिनियम 17। हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्नाटक सरकार ने एल. ए. अधिनियम की धारा 3 के खंड (सी) के तहत जारी अनुलग्नक-'ए' अधिसूचना दिनांक 15.12.1998 (2021 के एस. एल. पी. (सी.) No.1361 से उत्पन्न अपील में इस प्रकार चिह्नित) के अनुसार, के. एच. बी. के आवास आयुक्त को कार्य करने के लिए नियुक्त किया। बेंगलुरु और मैसूर राजस्व प्रभागों में के. एच. बी. के उद्देश्य से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत उपायुक्त के कार्य। ऐसी परिस्थितियों में, एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने में किसी भी त्रुटि या दोष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

37. एल. ए. अधिनियम के अवलोकन से पता चलता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू होती है।

उक्त अधिसूचना उपयुक्त सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ठोस आकार और रूप लेती है, जब वह अनिवार्य प्रक्रियाएं होती हैं और जब उनका सख्ती से पालन किया जाता है तो के. एच. बी. द्वारा इस तरह के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए सरकार की आगे की मंजूरी का निर्धारण करने के लिए तुकबंदी या कारण के बिना होगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद के मामलों में, सरकार ने एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित घोषणा और अंतिम अधिसूचना जारी की थी। 38. जैसा कि एल. कृष्णन के मामले में पहले उल्लेख किया गया था, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से पाया कि एल. ए. अधिनियम की धारा 4 (1) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की शुरुआत के लिए स्वीकृत और प्रकाशित योजना की उपलब्धता/अस्तित्व पर जोर देता हो। एल. कृष्णन के निर्णय के पैराग्राफ 9 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित और टिप्पणी कीः

" भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से यह नहीं कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने से पहले /

तमिलनाडु आवास बोर्ड जैसे निकाय के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव करते हुए इसके तहत प्रकाशित, प्रासंगिक अधिनियम के अनुसार तैयार की गई एक विधिवत प्रकाशित अंतिम योजना [2022] 19 एस. सी. आर.

बलपूर्वक रहें। हालाँकि, प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता टी. एन. एच. बी. के प्रावधानों से ऐसी आवश्यकता का अनुमान लगाना चाहते हैं। अधिनियम "।

भूमि विकास योजना/श्रम आवास योजना लागू होनी चाहिए। उक्त परिस्थितियों में उक्त विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है। 39. टी. एन. एच. बी. अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरीत, जो टी. एन. एच. बी. अधिनियम और तमिलनाडु आवास बोर्ड के उद्देश्य के लिए केवल एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण का आदेश देता है, के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के. एच. बी. को अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाने का अधिकार देती है।

के. एच. बी. अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, एल. ए. अधिनियम में उपबंधित तरीके से आवास योजना के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भूमि या उसमें किसी ब्याज का अधिग्रहण।

40. इसलिए, अगला सवाल यह है कि क्या एल. ए.

अधिनियम किसी भी विशेष पहलू या प्रक्रिया के संबंध में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा किसी भी तरह से संशोधित किया गया है। की उप-धारा (2) का केवल अवलोकन

धारा 33 स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देगी। इसके बाद के अंग में एक डीमिंग प्रावधान है। निश्चित रूप से, यह केवल इस मूलभूत तथ्य को स्थापित करने पर आकर्षित होता है कि भूमि का अधिग्रहण या उसमें ब्याज केएचबी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए है। उक्त प्रावधान, जो यहाँ पहले निकाला गया था,

यह दिखाने के लिए जाएं कि इसे स्थापित करने पर संबंधित भूमि का अधिग्रहण या उसमें ब्याज, जैसा भी मामला हो, एल. ए. अधिनियम के अर्थ के भीतर इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के रूप में माना जाएगा। , एल. ए. अधिनियम की धारा 3 (एफ) जो "सार्वजनिक उद्देश्य" को परिभाषित करती है। इसलिए, उसी एल. ए. अधिनियम के संदर्भ में के. एच. बी. अधिनियम द्वारा कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. तक संशोधित किया गया है।

ऊपर बताया गया है। इसलिए, यह पर्याप्त होगा यदि अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि अधिग्रहण केएचबी के उद्देश्य के लिए है। यह एक तथ्य है कि टी. एन. एच. बी. अधिनियम में के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के समान कोई प्रावधान नहीं है जो आवास बोर्ड को अधिनियम/बोर्ड के उद्देश्यों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाता है और साथ ही 'सार्वजनिक उद्देश्य' से संबंधित एक प्रावधान भी उपलब्ध है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

41. विचार के लिए एक अन्य संबद्ध प्रश्न यह है कि क्या अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पर्याप्त विशिष्टता के साथ गैर-विनिर्देशन एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने का एक कारण हो सकता है जैसा कि के. एच. बी. अधिनियम द्वारा के. एच. बी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए संशोधित किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना में इस तरह की अस्पष्टता के कारण धारक/भूमि मालिक इस अवसर से वंचित हो जाएंगे। एल. ए. अधिनियम की धारा 5 ए के तहत एक प्रभावी आपत्ति दर्ज करना। उस संदर्भ में, यह संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करने योग्य है।

अफ़लातून के मामले में अदालत (ऊपर)। यह एक ऐसा मामला था जहां सवाल यह था कि क्या एल. ए. अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत दिल्ली के किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित नहीं किया था और न ही अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया था। उस आधार पर धारा 4 के तहत अधिसूचना पर हमला किया गया था। यह तर्क कि भूमि का कोई विकास नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है

इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। एल. कृष्णन के मामले में अफलातून में निर्णय का उल्लेख किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई विशेष अधिसूचना अस्पष्ट है या नहीं, यह तथ्यों में तय किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। के. एच. बी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले मामलों में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि अधिग्रहण के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, इसे एल. ए. अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए एक बना देगा और उस इलाके का उल्लेख जिसमें अधिग्रहण किया जाएगा, धारा 5 ए के आधार पर हमले से बचाएगा। व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए धारा 4 अधिसूचना के चरण में

आपत्ति दर्ज करने के लिए इच्छुक, विशेष रूप से धारा 33 (2) के तहत प्रावधानों के आलोक में, उपरोक्त पंक्तियों पर एक उल्लेख पर्याप्त होगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अपील में एसएलपी (सी) No.1361/2021 से उत्पन्न, प्रतिवादी [2022] 19 एस. सी. आर. की मृत माँ।

Nos.2 और 3 ने धारा 5 ए के तहत आपत्तियां दायर की थीं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि कुछ मामलों में स्व-अधिसूचना के आधार पर अधिग्रहण किया गया था और पुरस्कार भी पारित किए गए थे।

42. हम पहले ही के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रावधानों को नोट कर चुके हैं और यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 24 (1) इस सवाल की बात करती है कि के. एच. बी. कार्यक्रम में शामिल आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं और श्रम आवास योजनाओं को निष्पादित करने के लिए कब आगे बढ़ सकता है। कि इसके अलावा, हमने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि धारा 24 (2) ऐसी योजना की निष्पादन क्षमता से संबंधित है जो कार्यक्रम में शामिल नहीं है और धारा 24 (2) के दायरे में आने वाली ऐसी योजना के संबंध में इसके तहत अधिदेश यह है कि इसे तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में, एक संयुक्त पठन

इसके बाद, अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के निर्णय की उक्त औपचारिक अभिव्यक्ति कर्नाटक सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ठोस आकार और रूप में सामने आती है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि यह के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए है, दूसरे शब्दों में, के. एच. बी. की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए, तो वैधानिक रूप से राज्य सरकार द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने तक इसके निष्पादन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण कार्यवाहियों की शुरुआत से पहले एक स्वीकृत और प्रकाशित योजना के अस्तित्व में न होने का मात्र तथ्य, अधिसूचनाओं और शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करेगा। 43. एक अन्य पहलू के लिए भी प्रतिद्वंद्वी विवादों और स्थिति के संदर्भ में संदर्भ की आवश्यकता होती है। अधिनियम की योजना से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपी गई योजनाओं को शुरू करना भी के. एच. बी. का कर्तव्य है। के. एच. बी. अधिनियम की धारा 32 (1) विशेष रूप से यह स्पष्ट करती है कि सरकार द्वारा के. एच. बी. को सौंपी गई योजना के संबंध में, धारा 18-24 (दोनों समावेशी) के तहत प्रावधान लागू नहीं होंगे, सिवाय उस हद तक और ऐसे संशोधनों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। यह है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्नाटक आवास बोर्ड और ए. एन. आर. द्वारा बोर्ड को सौंपी गई आवास योजनाओं, भूमि विकास योजनाओं या श्रम आवास योजनाओं के संबंध में।

वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [सी. टी. रविकुमार, जे.]

सरकार, कभी-कभी इस तरह की जिम्मेदारी उसके बाद ही दी जाती है

राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि का अधिग्रहण। उपर्युक्त सभी प्रावधानों और स्थितियों से पता चलेगा कि एस. एल. पी. (सी) No.1361/2021 और प्रतिवादी Nos.2 और 3 से उत्पन्न अपील में अपीलार्थियों के अलावा अपीलार्थियों का यह तर्क कि अंतिम रूप से स्वीकृत योजना का अस्तित्व किसी भी भूमि के अधिग्रहण या उसमें किसी भी हित की शुरुआत के लिए एक पूर्व शर्त है, एक पूर्व शर्त है और इसका अस्तित्व न होने से अधिग्रहण की कार्यवाही हमेशा अमान्य और अमान्य हो जाएगी, जो अस्थिर और अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। इसलिए, धारा 18 से 24 (दोनों समावेशी) और धारा 33 (2) के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि के. एच. बी. अधिनियम में कोई वैधानिक आग्रह नहीं है कि के. एच. बी. अधिनियम/के. एच. बी. के उद्देश्यों के लिए, धारा 33 (2) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए अधिग्रहण की शुरुआत के लिए, के. एच. बी. अधिनियम/के. एच. बी. की रचना, अंतिम रूप देना और प्रकाशन।

आवास योजना या भूमि विकास योजना या श्रम आवास योजना, एक पूर्व शर्त है।

44. उपरोक्त सभी कारणों से हम के. एच. बी. अधिनियम की धारा 33 (2) के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने के प्रभाव के लिए नकारात्मक में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हैं। आवास योजना का अस्तित्व में होने या आवास योजना को इसकी धारा 24 (2) के तहत मंजूरी नहीं दिए जाने से ऐसी कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। हम यह भी मानते हैं कि जब तक मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है

राज्य सरकार से उसमें किसी भी योजना के निष्पादन के लिए, के. एच. बी. अधिनियम की धारा 24 (2) के संदर्भ में, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वास्तविक अधिनियम,

अर्थात्। , उस पर निष्पादन प्रभावी नहीं होगा।

45. विवादास्पद प्रश्न और अन्य के उत्तरों को देखते हुए

संबद्ध मुद्दों पर हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

((i)

इसके विपरीत, अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, इसे अलग रखा जाता है। इसमें आगे विचार के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अपील करें। नतीजतन, से रिट याचिका No.25184/2011

जो रिट अपील No.5712/2012 उत्पन्न हुई, उसे खारिज कर दिया जाता है।

((ख)

सिविल अपील में Nos.7011-13/2013,9002-9003/2013 और

7017-19 / 2013 स्थिति यह है कि सामान्य [2022] 19 एस. सी. आर. के अनुसार।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

रिट याचिका Nos.4625/में क्रमशः निर्णय और आदेश

2004 , 18596/2006 , 11568/2008 और 47616/2004 दिनांकित 26.4.2013 और रिट अपील संख्या में निर्णय भी। 1244 45/2009 , डिवीजन बेंच ने वस्तुतः निर्णय लिया कि

के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण कार्यवाहियों की शुरुआत

केएचबी, एक स्वीकृत और प्रकाशित योजना का अस्तित्व एक पूर्व शर्त नहीं है। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने उस प्रश्न पर झुकाव वाले एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की और उसके बाद, संबंधित रिट याचिकाओं/रिट अपीलों का निपटारा विद्वान एकल न्यायाधीश से यह तय करने के अनुरोध के साथ किया गया कि क्या केएचबी अधिनियम की धारा 18-23 उनका पालन किया गया या नहीं। जाहिर है, वे रिट याचिकाएं अब लंबित हैं। मुद्दा यह है कि क्या उन मामलों में शामिल तथ्यों को देखते हुए, ईमानदारी का सवाल है।

के. एच. बी. अधिनियम की धारा 18-23 का पालन बना रहता है या

इसका पालन करने की आवश्यकता है, अधिग्रहण की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर विचार की आवश्यकता है। अतः, इस निर्णय के अधीन रहते हुए, सिविल अपीलों को उनके गुण-दोष पर विचार करने के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

और अनुराग भास्कर

निर्देश जारी किए गए।

प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)